



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, मंगलवार, 14 जनवरी, 2020

पौष 24, 1941 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश सरकार

संसदीय कार्य अनुभाग-1

संख्या 09/90सं0-1-2020-38सं-2003

लखनऊ, 14 जनवरी, 2020

अधिसूचना

सां०प०नि०-1

संविधान के अनुच्छेद 187 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, समापति, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के परामर्श से, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तों) नियमावली, 1976 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं:-

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तों)

(चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश, विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तों) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 कही जायेगी।

संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2-उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तों) नियमावली, 1976, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नियम 2 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये खण्ड

नियम 2 का
संशोधन

(5) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1

विद्यमान खण्ड

(5) "प्रतियोगिता परीक्षा" का तात्पर्य सेवा में सम्मिलित किसी पद के लिये आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा से है और उसके

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

(5) "प्रतियोगिता परीक्षा" का तात्पर्य सेवा में सम्मिलित किसी पद के लिये इस नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आयोजित

स्तम्भ-1

विद्यमान खण्ड

अंतर्गत ऐसे पदों और राज्य सरकार के सचिवालय में समकक्ष पदों के लिये आयोग द्वारा आयोजित सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा भी है;

नियम 6 का संशोधन

3-(क) नियम 6 में खण्ड (1-क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे,

अर्थात् :-

(1-ख) विशेष सचिव

ऐसी चयन समिति के माध्यम से मौलिक रूप से नियुक्त संयुक्त सचिवों में से 'योग्यता-सह-ज्येष्ठता' के आधार पर पदोन्नति द्वारा, जिसमें निम्नलिखित होंगे:

(क) सभापति, उत्तर प्रदेश, विधान परिषद् अध्यक्ष

(ख) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सदस्य

(ग) सभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का एक अधिकारी, जो सचिव की श्रेणी से नीचे का न हो। यदि अध्यक्ष, चयन समिति अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का हो तो सचिव की श्रेणी से अनिम्न श्रेणी का एक ऐसा अधिकारी, जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का न हो, सभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।

(घ) सभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट अन्य पिछड़े वर्गों का एक अधिकारी, जो सचिव की श्रेणी से नीचे का न हो। यदि अध्यक्ष, चयन समिति अन्य पिछड़े वर्गों का हो तो सचिव की श्रेणी से अनिम्न श्रेणी का एक ऐसा अधिकारी, जो अन्य पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का न हो, सभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि पात्र तथा उपयुक्त व्यक्ति पदोन्नति हेतु उपलब्ध न हों तो उक्त पद नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विधान सभा सचिवालय अथवा उत्तर प्रदेश सचिवालय के संयुक्त सचिव से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्ष होगी।

(1-खख) विशेष सचिव-सह-वित्त नियंत्रक

उक्त पद सभापति द्वारा वित्त एवं लेखा सेवाओं के 5 अधिकारियों के पैनल में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकता है;

प्रतिबन्ध यह है कि विशेष सचिव-सह-वित्त नियंत्रक के स्तर का अवधारण वित्त विभाग द्वारा सभापति के परामर्श से किया जायेगा। प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्ष होगी।

(1-ग) संयुक्त सचिव

मौलिक रूप से नियुक्त उप सचिवों में से 'योग्यता-सह-ज्येष्ठता' के आधार पर खण्ड (1-ख) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा;

प्रतिबन्ध यह है कि यदि पात्र तथा उपयुक्त व्यक्ति पदोन्नति हेतु उपलब्ध न हो तो उक्त पद नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विधान सभा सचिवालय अथवा उत्तर प्रदेश सचिवालय के ऐसे अधिकारी, जो मौलिक रूप से उप सचिव का पद धारण करता हो, से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्ष होगी।

(1-घ) उपसचिव

खण्ड (1-घ) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से मौलिक रूप से नियुक्त अनुसचिवों में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा;

प्रतिबन्ध यह है कि यदि पात्र तथा उपयुक्त व्यक्ति पदोन्नति हेतु उपलब्ध न हों तो उक्त पद नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विधान सभा सचिवालय अथवा उत्तर प्रदेश सचिवालय के ऐसे अधिकारी, जो मौलिक रूप से अनुसचिव का पद धारण करता हो, से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्ष होगी।

चयन समिति का गठन :-

(क) प्रमुख सचिव

अध्यक्ष

(ख) अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का एक अधिकारी, जो विशेष सचिव की श्रेणी से नीचे का न हो। यदि अध्यक्ष, चयन समिति अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का हो तो विशेष सचिव की श्रेणी से अनिम्न एक ऐसा अधिकारी, जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का न हो, अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।

(ग) अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अन्य पिछड़े वर्गों का एक अधिकारी, जो विशेष सचिव की श्रेणी से नीचे का न हो। यदि अध्यक्ष, चयन समिति अन्य पिछड़े वर्गों का हो तो विशेष सचिव की श्रेणी से अनिम्न श्रेणी का एक ऐसा अधिकारी, जो अन्य पिछड़े वर्गों का न हो, अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।

(ख) नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान खण्ड (2) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1

विद्यमान खण्ड

(2) मार्शल-

आयोग के माध्यम से चयन करके सीधी भर्ती द्वारा।

स्तम्भ-2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

(2) मार्शल

मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे डिप्टी मार्शलों, जो चयन वर्ष के प्रथम दिवस को कम से कम एक वर्ष की सेवा किये हों, में से योग्यता के आधार पर खण्ड (1-घ) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

यदि पात्र या उपयुक्त डिप्टी मार्शल उपलब्ध न हो तो उक्त पद खण्ड (1-घ) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरा जायेगा।

(ग) खण्ड (2) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्:-

(2-क) डिप्टी मार्शल- मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सहायक मार्शलों, जो चयन वर्ष के प्रथम दिवस को कम से कम तीन वर्ष की सेवा किये हों, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर खण्ड (1-घ) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

यदि पात्र या उपयुक्त सहायक मार्शल उपलब्ध न हों तो उक्त पद खण्ड (1-घ) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरा जायेगा।

(2-ख) सहायक मार्शल- खण्ड (1-घ) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से मौलिक रूप से नियुक्त वरिष्ठ सुरक्षा सहायक (पुरुष/महिला) में से, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर, पदोन्नति द्वारा।

(2-ग) वरिष्ठ सुरक्षा सहायक- खण्ड (1-घ) के अधीन गठित चयन-समिति के माध्यम से, मौलिक रूप से नियुक्त सुरक्षा सहायक (पुरुष/महिला) में से, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर, पदोन्नति द्वारा।

(2-घ) सुरक्षा सहायक(पुरुष)- खण्ड (1-घ) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। अभ्यर्थी के लिये माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश से

इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान प्रदान किया जायेगा, जिनके पास सेना, नौ सेना, वायुसेना, पुलिस, प्रांतीय सशस्त्र पुलिस (पी0ए0सी0), प्रांतीय रक्षक दल(पी0आर0डी0), राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन0सी0सी0), टेरिटरियल आर्मी अथवा होम गार्ड्स का अनुभव हो।

अभ्यर्थियों के पास निम्नलिखित न्यूनतम मानक होना आवश्यक है:-

ऊँचाई- 1.68 मीटर

वजन- 59 किलोग्राम

सीना- 86 सेंटीमीटर (बिना फुलाये हुए)

91 सेंटीमीटर (फुलाकर)

(2-ड) सुरक्षा सहायक (महिला)-खण्ड (1-घ) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश से इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान प्रदान किया जायेगा, जिनके पास सेना, नौ सेना, वायुसेना, पुलिस, प्रांतीय सशस्त्र पुलिस (पी0ए0सी0), प्रांतीय रक्षक दल(पी0आर0डी0), राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन0सी0सी0), टेरिटरियल आर्मी अथवा होम गार्ड्स का अनुभव हो।

अभ्यर्थियों के पास निम्नलिखित न्यूनतम मानक होना आवश्यक है:-

ऊँचाई-(1) मैदानी क्षेत्र - 1.52 मीटर

(2) पर्वतीय क्षेत्र- 1.47 मीटर

वजन-45 से 58 किलोग्राम

(घ) नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये खण्ड (3) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1

विद्यमान खण्ड

(3) समिति अधिकारी- आयोग के परामर्श से योग्यता के आधार पर चयन के सिद्धान्त के अनुसार सचिवालय के ऐसे व्यक्तियों से जो सचिवालय में अनुभाग अधिकारी का पद मौलिक रूप से धारण करते हों और जिनकी उस पद पर कम से कम 05 वर्ष की लगातार सेवा हो, जिसमें अस्थाई या स्थानापन्न रूप से की गयी सेवा भी सम्मिलित है, पदोन्नति द्वारा, अथवा यदि ऐसे अधिकारी उपलब्ध न हों या उपयुक्त न पाये जायें तो विधान सभा सचिवालय अथवा राज्य सचिवालय के ऐसे व्यक्तियों में से जो मौलिक रूप से ऐसा पद धारण करते हों जो अनुभाग अधिकारी से निम्न स्तर का न हो और जिनकी उस पद पर कम से कम 05 वर्ष तक लगातार सेवा हो, जिसमें अस्थाई या स्थानापन्न रूप से की गयी सेवा भी सम्मिलित हो, नियुक्ति द्वारा।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

(3) अनुसचिव/अनुसचिव एवं समिति अधिकारी/अनुसचिव एवं विधायी अधिकारी

सचिवालय के ऐसे मौलिक रूप से नियुक्त अनुभाग अधिकारियों में से, जिन्होंने इस रूप में कम से कम पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, खण्ड (1-घ) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से, 'अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर' पदोन्नति द्वारा और जहाँ ऐसा कोई अधिकारी उपलब्ध न हो या उपयुक्त न पाया जाए, वहाँ किसी पद के ऐसे मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों जो विधान सभा सचिवालय या उत्तर प्रदेश सचिवालय के अनुभाग अधिकारी से अनिम्न हो और जो इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर लियें हों, में से प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(ड) नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये खण्ड (4) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1

विद्यमान खण्ड

(4) अनुभाग अधिकारी- आयोग के परामर्श से योग्यता के आधार पर चयन के सिद्धान्त के अनुसार सचिवालय के ऐसे व्यक्तियों में से जो कम से कम 10 वर्ष तक मौलिक रूप से प्रवर वर्ग सहायक का पद धारण किये हो, में से पदोन्नति द्वारा।

स्तम्भ-2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

(4) अनुभाग अधिकारी- मौलिक रूप से नियुक्त सचिवालय के ऐसे समीक्षा अधिकारियों, जिन्होंने इस रूप में कम से कम पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से खण्ड (1-घ) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से, 'अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर' पदोन्नति द्वारा और जहां ऐसा कोई समीक्षा अधिकारी उपलब्ध न हो या उपयुक्त न पाया जाए, वहां विधान सभा सचिवालय या उत्तर प्रदेश सचिवालय के ऐसे मौलिक रूप से नियुक्त समीक्षा अधिकारियों, जिन्होंने इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(च) खण्ड (4) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्:-

(4-क) सूचना अधिकारी- खण्ड (1-घ) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(4-ख) व्यवस्थाधिकारी- खण्ड (1-घ) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से, मौलिक रूप से नियुक्त समीक्षा अधिकारियों में से 'अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर' पदोन्नति द्वारा।

(छ) नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये खण्ड (5) के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1

विद्यमान खण्ड

निजी सचिव (प्रवरण श्रेणी)- आयोग के परामर्श से योग्यता के आधार पर चयन के सिद्धान्त के अनुसार ऐसे व्यक्तियों में से जो सचिवालय में निजी सचिव (ग्रेड-2) का पद मौलिक रूप से धारण करते हों।

स्तम्भ-2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

निकाल दिया गया।

(ज) नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये खण्ड (6) के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1

विद्यमान खण्ड

(6) निजी सचिव (ग्रेड-2)- आयोग के परामर्श से योग्यता के आधार पर चयन के सिद्धान्त के अनुसार सचिवालय में कम से कम 10 वर्ष की सेवा के स्थायी वैयक्तिक सहायकों में से पदोन्नति द्वारा।

स्तम्भ-2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

(6) निजी सचिव श्रेणी-1- मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे अपर निजी सचिवों में से, जिन्होंने इस रूप में कम से कम पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, 'अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर', खण्ड (1-घ) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

स्तम्भ-1
विद्यमान खण्ड

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

(6-क) निजी सचिव श्रेणी-2-सचिवालय के ऐसे मौलिक रूप से नियुक्त निजी सचिवों श्रेणी-1 में से 'अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर', खण्ड (1-घ) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसा कोई अधिकारी उपलब्ध न हो या उपयुक्त न पाया जाय तो विधान सभा सचिवालय या उत्तर प्रदेश सचिवालय के निजी सचिवों श्रेणी-1 में से खण्ड (1-घ) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(6-ख) निजी सचिव श्रेणी-3-सचिवालय के मौलिक रूप से नियुक्त निजी सचिवों श्रेणी-2 में से 'अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर', खण्ड (1-घ) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसा कोई अधिकारी उपलब्ध न हो या उपयुक्त न पाया जाय तो विधान सभा सचिवालय या उत्तर प्रदेश सचिवालय के निजी सचिवों श्रेणी-2 में से खण्ड (1-घ) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(6-ग) निजी सचिव श्रेणी-4-सचिवालय के मौलिक रूप से नियुक्त निजी सचिवों श्रेणी-3 में से 'योग्यता के आधार पर', खण्ड (1-ख) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसा कोई अधिकारी उपलब्ध न हो या उपयुक्त न पाया जाय तो विधान सभा सचिवालय या उत्तर प्रदेश सचिवालय के निजी सचिवों श्रेणी-3 में से खण्ड (1-ख) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(6-घ) प्रधान निजी सचिव-सचिवालय के मौलिक रूप से नियुक्त निजी सचिवों श्रेणी-4 में से 'योग्यता के आधार पर', खण्ड (1-ख) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसा कोई अधिकारी उपलब्ध न हो या उपयुक्त न पाया जाय तो विधान सभा सचिवालय या उत्तर प्रदेश सचिवालय के निजी सचिवों श्रेणी-4 में से खण्ड (1-ख) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(झ) नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये खण्ड (7) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1

विद्यमान खण्ड

(7) मुख्य प्रतिवेदक-आयोग के परामर्श से योग्यता के आधार पर चयन के सिद्धान्त के अनुसार ऐसे व्यक्तियों में से, जो सचिवालय में मौलिक रूप से उप मुख्य प्रतिवेदक, यदि कोई हो, अथवा कम से कम 05 वर्ष तक मौलिक रूप से वृत्त लेखक प्रवरण श्रेणी, का पद धारण करते हों, पदोन्नति द्वारा।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

(7) मुख्य प्रतिवेदक-मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उप मुख्य प्रतिवेदकों में से जिन्होंने इस रूप में कम से कम 02 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, खण्ड (1-घ) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि उप मुख्य प्रतिवेदक उपयुक्त न पाया जाए, तो उक्त पद, ऐसे मौलिक रूप से नियुक्त प्रतिवेदकों में से, जिन्होंने इस रूप में कम से कम दस वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, 'अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर' भरा जा सकता है।

(7-क) प्रमुख प्रतिवेदक-सचिवालय के मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य प्रतिवेदकों में से, 'योग्यता के आधार पर', खण्ड (1-ख) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसा कोई अधिकारी उपलब्ध न हो या उपयुक्त न पाया जाये तो विधान सभा सचिवालय के मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य प्रतिवेदकों में से खण्ड (1-ख) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(ञ) नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये खण्ड (8) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1

विद्यमान खण्ड

(8) उप मुख्य प्रतिवेदक-आयोग के परामर्श से योग्यता के आधार पर चयन के सिद्धान्त के अनुसार ऐसे व्यक्तियों में से, जो सचिवालय में मौलिक रूप से,

(क) कम से कम पांच वर्ष तक स्थायी प्रतिवेदक का पद धारण कर चुके हों, या

(ख) वृत्त लेखक प्रवरण श्रेणी का पद धारण करते हों, पदोन्नति द्वारा।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

(8) उप मुख्य प्रतिवेदक-ऐसे मौलिक रूप से नियुक्त वृत्त लेखकों, जिन्होंने इस रूप में कम से कम दस वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से खण्ड (1-घ) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से 'अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर', पदोन्नति द्वारा।

(ट) नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये खण्ड (9) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1

विद्यमान खण्ड

वृत्त लेखक प्रवरण श्रेणी- आयोग के परामर्श से अनुपयुक्त को अस्वीकृत करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर चयन के सिद्धान्त के अनुसार

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

(9) मुख्य संपादक- सचिवालय में कार्यरत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे संपादकों, जिन्होंने इस रूप में कम से कम 5 वर्ष की

स्तम्भ-1
विद्यमान खण्ड

सचिवालय में कम से कम 05 वर्ष की सेवा के स्थायी वृत्त लेखकों में से पदोन्नति द्वारा।

स्तम्भ-2
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

सेवा पूर्ण कर ली हो, में से 'अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर', खण्ड (1-घ) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(द) खण्ड (9) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्:-

(9-क) संपादक- खण्ड (1-घ) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(9-ख) विशेष कार्याधिकारी, प्रकाशन- ऐसे मौलिक रूप से नियुक्त शोध अधिकारियों, जिन्होंने चयन वर्ष के प्रथम दिवस को कम से कम पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से खण्ड (1-घ) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से 'अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर', पदोन्नति द्वारा।

यदि पात्र या उपयुक्त शोध अधिकारी उपलब्ध न हों तो उक्त पद खण्ड (1-घ) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरा जायेगा।

(9-ग) शोध अधिकारी- ऐसे मौलिक रूप से नियुक्त शोध सहायकों, जिन्होंने चयन वर्ष के प्रथम दिवस को कम से कम पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से खण्ड (1-घ) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से 'अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर', पदोन्नति द्वारा।

यदि पात्र या उपयुक्त शोध सहायक उपलब्ध न हों तो उक्त पद खण्ड (1-घ) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरा जायेगा।

(9-घ) शोध सहायक- खण्ड (1-घ) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(ड) नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये खण्ड (10) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1
विद्यमान खण्ड

(10) लेखाकार एवं कोषाध्यक्ष- अनुपयुक्त को अस्वीकृत करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर स्थायी अवर वर्ग सहायकों में से पदोन्नति द्वारा।

स्तम्भ-2
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

(10) समीक्षा अधिकारी (लेखा)- मौलिक रूप से नियुक्त सहायक समीक्षा अधिकारियों (लेखा) में से, 'अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर' खण्ड (1-घ) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(द) खण्ड (10) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्:-

(10-क) समीक्षा अधिकारी (लेखा)-समापति, द्वारा अवधारित प्रक्रिया के अनुसार उनके आदेशों के अधीन संचालित, प्रतियोगितात्मक परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

प्रतिबन्ध यह है कि समीक्षा अधिकारी (लेखा) के पदों पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी को निम्नलिखित अर्हतायें धारित करना आवश्यक है:-

(1) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कामर्स में एकाउण्टेन्सी सहित स्नातक उपाधि अथवा राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।

(2) राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में 'ओ' लेवल का प्रमाण पत्र।

(10-ख) अनुभाग अधिकारी (लेखा)- मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे समीक्षा अधिकारियों(लेखा), जिन्होंने 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से 'अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर' खण्ड (1-घ) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(ग) नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये खण्ड (11) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(11) वृत्त लेखक- आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा से सीधी भर्ती द्वारा।	(11) वृत्त लेखक-सभापति, द्वारा अवधारित प्रक्रिया के अनुसार उनके आदेशों के अधीन संचालित, प्रतियोगितात्मक परीक्षा के माध्यम से, खण्ड (1-घ) के अधीन गठित समिति के माध्यम से, सीधी भर्ती द्वारा।

(त) नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये खण्ड (12) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(12) प्रवर वर्ग सहायक-आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा से सीधी भर्ती द्वारा।	(12) समीक्षा अधिकारी-सभापति, द्वारा अवधारित प्रक्रिया के अनुसार उनके आदेशों के अधीन संचालित, प्रतियोगितात्मक परीक्षा के माध्यम से, खण्ड (1-घ) के अधीन गठित समिति के माध्यम से, सीधी भर्ती द्वारा।

(थ) नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये खण्ड (13) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(13) वैयक्तिक सहायक-आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा से सीधी भर्ती द्वारा।	(13) अपर निजी सचिव-सभापति, द्वारा अवधारित प्रक्रिया के अनुसार उनके आदेशों के अधीन संचालित, प्रतियोगितात्मक परीक्षा के माध्यम से, खण्ड (1-घ) के अधीन गठित समिति के माध्यम से, सीधी भर्ती द्वारा।

(द) नीचे स्तम्भ-1 दिये गये खण्ड (14) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(14) अवर वर्ग सहायक- आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा से सीधी भर्ती द्वारा।	(14) सहायक समीक्षा अधिकारी-सभापति, द्वारा अवधारित प्रक्रिया के अनुसार उनके आदेशों के अधीन संचालित, प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से, खण्ड (1-घ) के अधीन गठित समिति के माध्यम से, सीधी भर्ती द्वारा।

(घ) खण्ड (14) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:-

(14-क) कम्प्यूटर सहायक

(i) अस्सी प्रतिशत पद मृतक आश्रितों से भरे जायेंगे। यदि पर्याप्त मात्रा में मृतक आश्रित उपलब्ध न हों अथवा उपयुक्त न पाये जायें तो सभापति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अधीन सीधी भर्ती की जायेगी।

(ii) बीस प्रतिशत रिक्तियां पदोन्नति के माध्यम से, खण्ड (1-घ) के अधीन गठित चयन समिति द्वारा निम्नलिखित श्रोतों से भरी जायेंगी :-

(क) पन्द्रह प्रतिशत, मौलिक से रूप से नियुक्त ऐसे समूह 'घ' कर्मचारियों में से, जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश की हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो और जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

(ख) पाँच प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे समूह 'घ' कर्मचारियों में से, जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो और जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

(न) नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये खण्ड (15) के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1

विद्यमान खण्ड

टंकक- बिना आयोग के परामर्श से सीधी भर्ती द्वारा।

स्तम्भ-2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

निकाल दिया गया।

(प) नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये खण्ड (16) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1

विद्यमान खण्ड

(16) वाहन चालक - बिना आयोग के परामर्श से सीधी भर्ती द्वारा।

स्तम्भ-2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

(16) वाहन चालक - सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती, उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा नियमावली, 1993 (समय-समय पर यथा संशोधित) में निर्धारित शैक्षिक अर्हता तथा प्रक्रियाओं के अनुसार खण्ड (1-घ) के अधीन गठित चयन समिति द्वारा निम्नवत् की जायेगी:-

(1) वाहन चालक ग्रेड -4:

(एक) अस्सी प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा।

(दो) बीस प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त समूह 'घ' के ऐसे कर्मचारियों में से जो भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर लिये हों और यथास्थिति, भारी या हलके वाहन चलाने का तीन वर्ष से अन्वून अवधि का वैध ड्राइविंग लाइसेन्स रखते हों तथा किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से ऑटोवी कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर लिये हों, पदोन्नति द्वारा।

स्तम्भ-1
विद्यमान खण्ड

स्तम्भ-2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

प्रतिबन्ध यह है कि यदि पदोन्नतियों हेतु पोषक संवर्ग या पोषक संवर्ग में पात्र व्यक्ति उपलब्ध न हो तो ऐसी रिक्तियां खण्ड (1-घ) के अधीन, सीधी भर्ती के माध्यम से भरी जायेंगी।

(2) वाहन चालक ग्रेड -3:

मौलिक रूप से नियुक्त वाहन चालक ग्रेड-4 में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में नौ वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(3) वाहन चालक ग्रेड -2:

मौलिक रूप से नियुक्त वाहन चालक ग्रेड-3 में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को वाहन चालक ग्रेड-3 के पद पर छः वर्ष की मौलिक सेवा पूर्ण कर ली हो या भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को वाहन चालक ग्रेड-4 और वाहन चालक ग्रेड-3 के पद पर कुल मिलाकर पन्द्रह वर्ष की मौलिक सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(4) वाहन चालक ग्रेड -1:

मौलिक रूप से नियुक्त वाहन चालक ग्रेड-2 में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को वाहन चालक ग्रेड-2 के पद पर तीन वर्ष की मौलिक सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(5) वाहन चालक (विशेष ग्रेड):

मौलिक रूप से नियुक्त वाहन चालक ग्रेड-1 में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में एक वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(फ) खण्ड (16) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:-

(16-क) साइक्लोस्टाइल आपरेटर - फोटोस्टेट मशीन चलाने का अनुभव रखने वाले मौलिक रूप से नियुक्त अनुसेवकों में से प्रमुख सचिव द्वारा गठित चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(ब) नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये खण्ड (17) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1

विद्यमान खण्ड

(17) दफ्तरी-बिना आयोग के परामर्श से अनुपयुक्त को अस्वीकृत करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर चपरासी तथा फर्दाश में से पदोन्नति द्वारा।

स्तम्भ-2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

(17) दफ्तरी-प्रमुख सचिव द्वारा गठित चयन समिति के माध्यम से मौलिक रूप से नियुक्त अनुसेवकों में से 'अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर' पदोन्नति द्वारा।

(भ) नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये खण्ड (18) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

<u>स्तम्भ-1</u>	<u>स्तम्भ-2</u>
विद्यमान खण्ड	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(18) जमादार-बिना आयोग के परामर्श से अनुपयुक्त को अस्वीकृत करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर चपरासी तथा फर्शा में से पदोन्नति द्वारा।	(18) वरिष्ठ अनुसेवक-प्रमुख सचिव द्वारा गठित चयन-समिति के माध्यम से मौलिक रूप से नियुक्त अनुसेवकों में से 'अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर', पदोन्नति द्वारा।

(म) नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये खण्ड (19) के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

<u>स्तम्भ-1</u>	<u>स्तम्भ-2</u>
विद्यमान खण्ड	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(19) चपरासी- सीधी भर्ती द्वारा।	(19) अनुसेवक-प्रमुख सचिव द्वारा गठित चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(न) नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये खण्ड (20) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

<u>स्तम्भ-1</u>	<u>स्तम्भ-2</u>
विद्यमान खण्ड	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
फर्शा - सीधी भर्ती द्वारा।	निकाल दिया गया।

(र) नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये खण्ड (21) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

<u>स्तम्भ-1</u>	<u>स्तम्भ-2</u>
विद्यमान खण्ड	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(21) सफाई मजदूर- सीधी भर्ती द्वारा।	(21) सफाई मजदूर-प्रमुख सचिव द्वारा गठित चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

नियम 9 का संशोधन

4-उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 9 के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

<u>स्तम्भ-1</u>	<u>स्तम्भ-2</u>
विद्यमान खण्ड	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
9- आयु सीमा- सचिवालय के विभिन्न संवर्गों के पदों पर सीधी भर्ती के लिये, जिस वर्ष पद विज्ञापित हो, उस वर्ष की जुलाई के प्रथम दिन, अभ्यर्थी निम्नलिखित न्यूनतम आयु से कम अथवा अधिकतम आयु से अधिक का नहीं होगा-	9- आयु सीमा- सचिवालय के विभिन्न संवर्गों के पदों पर सीधी भर्ती के लिये, जिस वर्ष पद विज्ञापित किया जाय, उस वर्ष के जुलाई के प्रथम दिवस को, अभ्यर्थी निम्नलिखित न्यूनतम आयु से कम अथवा अधिकतम आयु से अधिक का नहीं होगा-
न्यूनतम अधिकतम	न्यूनतम अधिकतम
(1) प्रमुख सचिव 35 55	(1) प्रमुख सचिव 35 55
(2) मार्शल 30 45	(2) मार्शल 30 45
(3) वृत्त लेखक 22 35	(3) वृत्त लेखक 22 40
(4) वैयक्तिक सहायक 21 30	(4) अपर निजी सचिव 21 40

स्तम्भ-1 विद्यमान खण्ड			स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड		
	न्यूनतम	अधिकतम		न्यूनतम	अधिकतम
(5) प्रवर वर्ग सहायक	21	27	(5) समीक्षा अधिकारी	21	40
(6) अवर वर्ग सहायक	21	27	(6) समीक्षा अधिकारी (लेखा)	21	40
(7) टंकक	18	27	(7) सहायक समीक्षा अधिकारी	21	40
(8) मोटर ड्राइवर	18	40	(8) निकाल दिया गया	—	—
(9) वर्ग 4 के अन्य कर्मचारी	18	30	(9) वाहन चालक	18	40
			(10) श्रेणी 4 के अन्य कर्मचारी	18	40
			(11) डिप्टी मार्शल	30	40
			(12) सुरक्षा सहायक (पुरुष/महिला)	21	40
			(13) सूचना अधिकारी	21	40
			(14) सम्पादक	21	40
			(15) विशेष कार्याधिकारी, प्रकाशन	30	40
			(16) शोध अधिकारी	30	40
			(17) शोध सहायक	21	40
			(18) कम्प्यूटर सहायक	21	40

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई अभ्यर्थी अपनी आयु तथा अन्य अर्हताओं के आधार पर नियमों के अन्तर्गत किसी वर्ष परीक्षा अथवा चयन में सम्मिलित होने का अधिकारी हो किन्तु उस वर्ष ऐसी परीक्षा या चयन न हो तो वह अपनी आयु के संबंध में आगामी दूसरी परीक्षा अथवा चयन में सम्मिलित होने का अधिकारी समझा जायेगा।

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि सभापति न्यायोचित व्यवहार के हित में अथवा जनहित में आवश्यक समझे तो किसी अभ्यर्थी अथवा अभ्यर्थी वर्ग के पक्ष में अधिकतम आयु सीमा को शिथिल कर सकते हैं।

अग्रतर प्रतिबन्ध यह भी है कि जिन पदों पर भर्ती आयोग के माध्यम से होनी है उनके संबंध में नियम शिथिल करने से पूर्व आयोग से परामर्श किया जायेगा।

टिप्पणी—अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के अभ्यर्थियों की आयु सीमा निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से पांच वर्ष अधिक होगी।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि अभ्यर्थी अपनी आयु तथा अन्य अर्हताओं के आधार पर नियमावली के अधीन किसी वर्ष में परीक्षा अथवा चयन में सम्मिलित होने का हकदार हो, किन्तु उस वर्ष में ऐसी परीक्षा या चयन न हो तो वह अपनी आयु के संबंध में आगामी अनुवर्ती परीक्षा अथवा चयन में सम्मिलित होने का हकदार समझा जायेगा।

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि सभापति निष्पक्ष व्यवहार के हित में अथवा लोकहित में आवश्यक समझे तो किसी अभ्यर्थी अथवा अभ्यर्थी वर्ग के पक्ष में अधिकतम आयु सीमा को शिथिल कर सकते हैं।

प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि प्रमुख सचिव के पद के लिये चयन हेतु किसी सेवानिवृत्त व्यक्ति पर विचार किया जाता है तो 55 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।

टिप्पणी—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा ऐसी अन्य श्रेणियों, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाय, के अभ्यर्थियों के मामले में विहित अधिकतम आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

नियम 9-क का संशोधन

5-उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 9-क के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

पदावधि

9-क - प्रमुख सचिव की अधिवर्षता वही होगी जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित की जाय:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई सेवानिवृत्त अधिकारी प्रमुख सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है तो वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त होने तक अथवा पांच वर्ष की सेवा अवधि के लिये, जो भी पहले हो, पद धारण करता रहेगा।

नियम 10 का संशोधन

6-उक्त नियमावली में नियम 10 में उप नियम (3) के पश्चात निम्नलिखित उप नियम बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्:-

(क)

(3-क) विशेष कार्याधिकारी, प्रकाशन हेतु-भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से साहित्य में या किसी सामाजिक विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, उच्च गुणवत्ता का प्रकाशित कार्य या पुस्तकालय में किसी उत्तरदायी पद पर कम से कम पाँच वर्ष तक कार्य करने का अनुभव धारित करना आवश्यक है :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे व्यक्ति को अधिमान दिया जायेगा जिसके पास पुस्तकालय विज्ञान या विधि में उपाधि हो और जिसे विधायी प्रक्रिया एवं संसदीय कार्य का अनुभव हो।

(3-ख) शोध अधिकारी हेतु-भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से साहित्य में या किसी सामाजिक विषय में स्नातकोत्तर उपाधि और उच्च गुणवत्ता का प्रकाशित कार्य या पुस्तकालय में किसी उत्तरदायी पद पर कम से कम पाँच वर्ष तक कार्य करने का अनुभव धारित करना आवश्यक है:

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे व्यक्ति को अधिमान दिया जायेगा जिसके पास पुस्तकालय विज्ञान या विधि में उपाधि हो और जिसे विधायी प्रक्रिया एवं संसदीय कार्य का अनुभव हो।

(3-ग) सम्पादक हेतु-

(एक)- भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से साहित्य अथवा किसी सामाजिक विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, धारित करना आवश्यक है।

(दो)- सम्पादन/अनुवाद/सारांश लेखन कार्य का कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव अथवा किसी विधान मण्डल सचिवालय में उत्तरदायी पद पर पाँच वर्ष की सेवा हो।

(3-घ) सूचना अधिकारी हेतु-भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में हिन्दी के साथ स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि तथा पत्रकारिता में डिप्लोमा या पत्रकारिता में पाँच वर्ष का अनुभव धारित करना आवश्यक है:

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे व्यक्ति को अधिमान दिया जायेगा जिसने भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी संस्था से पत्रकारिता में स्नातक उपाधि प्राप्त की हो, उसे समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में लेख, पटकथा और फीचर लिखने का अनुभव हो तथा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी संस्था से संगीत/प्रकाश व्यवस्था/अभिनय/निर्देशन इत्यादि में डिप्लोमा प्राप्त किया हो:

प्रतिबन्ध यह और है कि कोई व्यक्ति, जिसने सूचना अधिकारी के पद पर उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तों) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के प्रारम्भ होने के पूर्व कम से कम छः माह की सेवा की हो, इस नियमावली के प्रयोजनों के लिए अर्ह समझा जायेगा।

(ख) नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये उपनियम (4) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान उपनियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
(4) प्रवर वर्ग सहायक-भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक की उपाधि।	(4) समीक्षा अधिकारी-भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।

(ग) नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये उपनियम (6) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान उपनियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
(6) वैयक्तिक सहायक-उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इन्टरमीडिएट परीक्षा तथा हिन्दी आशुलिपि में 120 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी आशुलिपि में 100 शब्द प्रति मिनट की गति।	(6) अपर निजी सचिव- (एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता। (दो) हिन्दी आशुलेखन और हिन्दी टंकण में क्रमशः न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट और 25 शब्द प्रति मिनट की गति होना आवश्यक है। (तीन) निम्नानुसार कम्प्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है:- नीलिट (पूर्व डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 सोसाइटी) द्वारा संचालित कम्प्यूटिंग में सर्टिफिकेट कोर्स (सी0सी0सी0) के लिये निर्धारित पाठ्यक्रम अथवा इसके समकक्ष अर्हता।

(घ) उपनियम (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्:-

(6-क) समीक्षा अधिकारी (लेखा) -

(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एकाउन्टेंसी सहित वाणिज्य में स्नातक उपाधि अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।

(2) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में 'ओ' लेवल प्रमाण पत्र।

(6-ख) शोध सहायक-भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से साहित्य अथवा किसी सामाजिक विषय में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हो एवं किसी शोध पुस्तकालय अथवा विधान मंडल पुस्तकालय में उत्तरदायी पद पर कम से कम तीन वर्ष शोध कार्य अथवा सेवा का अनुभव हो।

(ङ) नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये उपनियम (7) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान उपनियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
(7) अवर वर्ग सहायक- भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक की उपाधि: प्रतिबन्ध यह है कि कम से कम हाई स्कूल उत्तीर्ण तथा इन नियमों के लागू होने के दिनांक के पूर्व से सचिवालय में अस्थाई अवर	(7) सहायक समीक्षा अधिकारी- (एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता।

स्तम्भ-1**विद्यमान उपनियम**

वर्ग सहायक के पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति को अवर वर्ग सहायक के पद के लिये विभागीय अभ्यर्थी के रूप में शैक्षिक दृष्टि से योग्य पात्र समझा जायेगा, यदि वह इस पद के लिये अन्यथा योग्य पात्र हों।

स्तम्भ-2**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम**

(दो) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान में स्नातक की उपाधि अथवा डिप्लोमा।

(तीन) नीलिट (पूर्व डी.ओ.इ.ए.सी.सी. सोसाइटी) द्वारा प्रदत्त 'ओ' लेवल प्रमाण पत्र अथवा उसके समकक्ष कोई अर्हता।

(चार) कम्प्यूटर पर हिंदी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति :

प्रतिबन्ध यह है कि अंग्रेजी टंकण का ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा।

(घ) उप नियम, (7) के पश्चात निम्नलिखित उप नियम बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्:-

(7-क) कम्प्यूटर सहायक हेतु

किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा के साथ इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है अथवा डोक या नीलिट से 'ओ' लेवल डिप्लोमा के साथ इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

(7-ख) वाहन चालक हेतु

भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को अन्यून तीन वर्ष की अवधि तक के लिये यथास्थिति भारी या हल्के वाहन चलाने का विधिमान्य लाइसेंस होना आवश्यक है और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा-8 की परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

(7-ग) अनुसेवक तथा अन्य चतुर्थ श्रेणी के पदों हेतु

शैक्षिक अर्हतायें वही होंगी जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित की जाय।

7-उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 16 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1**विद्यमान नियम**

(16) रिक्त पदों की संख्या- नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती किये जाने वाले वर्ष में सचिव, मार्शल, वृत्त लेखक, प्रवर वर्ग सहायक, वैयक्तिक सहायक या अवर वर्ग सहायक जैसी भी स्थिति हो के रिक्त अथवा रिक्त होने वाले पदों की संख्या निश्चित करके आयोग को सूचित करेंगे:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी वर्ष में प्रवर वर्ग सहायकों या अवर वर्ग सहायकों के संवर्ग में रिक्त पदों या रिक्त होने वाले पदों की संख्या दो से कम हो तो वह रिक्त आयोग को सूचित करने के हेतु अनुवर्ती वर्ष में अग्रणीत की जायेगी।

स्तम्भ-2**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**

(16) रिक्त पदों की संख्या- प्रमुख सचिव 'भर्ती के वर्ष' में सचिवालय में रिक्त या सम्भावित रूप से रिक्त होने वाले पदों की संख्या को अभिनिश्चित करेंगे और तत् सम्बन्ध में सभापति को सूचित करेंगे।

नियम 16 का संशोधन

8-उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 17 के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्:-

नियम 17 का संशोधन

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

(17) वृत्त लेखक के रिक्त पदों में आरक्षण-

(1) नियुक्ति प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार प्रत्येक वर्ष वृत्त लेखक के रिक्त पदों की कुल संख्या के एक तिहाई से अनधिक रिक्त पद उस वर्ष उन व्यक्तियों के लिये आरक्षित होंगे, जिनकी आयोग द्वारा आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के लिये नियत दिनांक को न्यूनतम एक वर्ष की अस्थायी सेवा उक्त पर हो गयी हो तथा जिनका कार्य संतोषजनक प्रमाणित किया जाये:

प्रतिबन्ध यह है कि उनकी आयु भर्ती किये जाने वाले वर्ष की जुलाई के प्रथम दिन 40 वर्ष से अनधिक हो।

(2) ऐसे आरक्षित रिक्त पदों की पूर्ति आयोग द्वारा नियम-6(11) के अन्तर्गत आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के फल के आधार पर की जायेगी, यदि अभ्यर्थी उस स्तर तक के हों जो आयोग उपयुक्त समझे।

9-उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

(18) वैयक्तिक सहायक के रिक्त पदों में आरक्षण-

(1) नियुक्ति प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार प्रत्येक वर्ष वैयक्तिक सहायक के रिक्त पदों की कुल संख्या के एक तिहाई से अनधिक रिक्त पद उस वर्ष उन व्यक्तियों के लिये आरक्षित होंगे, जिनकी आयोग द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिये नियत दिनांक को न्यूनतम एक वर्ष की अस्थायी सेवा उक्त पद पर हो तथा जिनका कार्य संतोष जनक प्रमाणित किया जाय:

प्रतिबन्ध यह है कि उनकी आयु भर्ती किये जाने वाले वर्ष की जुलाई के प्रथम दिन 35 वर्ष से अनधिक हो।

(2) ऐसे आरक्षित रिक्त पदों की पूर्ति आयोग द्वारा नियम 6(13) के अन्तर्गत आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर की जायेगी, यदि अभ्यर्थी उक्त स्तर तक के हो जो आयोग उपयुक्त समझे।

स्तम्भ-2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

(17) वृत्त लेखकों के पदों में रिक्तियों का आरक्षण-

(1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा यथा विनिश्चित प्रत्येक वर्ष वृत्त लेखकों के रिक्त पदों की कुल संख्या के एक-तिहाई से अनधिक संख्या में रिक्तियां उस वर्ष उन व्यक्तियों के लिये आरक्षित होंगी, जो आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिये चयन समिति द्वारा नियत दिनांक को उक्त पद पर न्यूनतम एक वर्ष की अवधि की अस्थायी सेवा पूर्ण कर लिये हों तथा जिनका कार्य संतोषजनक रूप में प्रमाणित कर दिया गया हो:

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे व्यक्तियों की आयु, भर्ती के वर्ष की जुलाई के प्रथम दिवस को 40 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(2) इस नियम के अधीन आरक्षित रिक्तियों, नियम 6 के खण्ड (1-घ) के अधीन संचालित प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जायेगी:

प्रतिबन्ध यह है कि अभ्यर्थी उस मानक तक के हों, जैसा कि युक्तियुक्त समझा जाये।

10-उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-2 में दिये गये नियम 18 के स्थान पर, स्तम्भ-2

नियम 18 का संशोधन

स्तम्भ-2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

(18) अपर निजी सचिवों के पदों की रिक्तियों का आरक्षण-

(1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा यथा विनिश्चित प्रत्येक वर्ष अपर निजी सचिवों के पदों की रिक्तियों की कुल संख्या के अनधिक एक-तिहाई संख्या में रिक्तियां, उस वर्ष में ऐसे व्यक्तियों के लिये आरक्षित की जायेगी जो आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के लिये चयन समिति द्वारा नियत दिनांक को उक्त पद पर न्यूनतम एक वर्ष के लिये अस्थायी सेवा पूर्ण कर लिये हों तथा जिनका कार्य संतोषजनक रूप में प्रमाणित किया गया हो:

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे व्यक्तियों की आयु, भर्ती वर्ष के जुलाई के प्रथम दिवस को 40 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(2) ऐसी आरक्षित रिक्तियां नियम 6 के खण्ड (1-घ) के अधीन चयन समिति द्वारा संचालित प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जायेगी:

प्रतिबन्ध यह है कि अभ्यर्थी उस मानक तक के हों, जैसा कि युक्तियुक्त समझा जाय।

नियम 19 का संशोधन

10-उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 19 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

(19) प्रवर वर्ग सहायक के रिक्त पदों में आरक्षण-

(1) जहां रिक्तियों की कुल संख्या किसी वर्ष में एक से अधिक हो, वहां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्णीत ऐसी संख्या जो रिक्तियों की कुल संख्या के आधे से अनधिक हो, और जहां रिक्ति की संख्या केवल एक हो, वहां ऐसी रिक्ति सचिवालय के ऐसे स्थायी अवर वर्ग सहायकों तथा लेखाकार एवं कोषाध्यक्षों तथा इन पदों पर स्थायी नियुक्ति के लिये नियमों के अनुसार अनुमोदित ऐसे अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित होंगे, जो परीक्षा वर्ष की पहली जुलाई को सचिवालय में अस्थायी या स्थानापन्न सेवा को सम्मिलित करके न्यूनतम तीन वर्ष की लगातार सेवा अवधि पूरी कर चुके हों और जिनका कार्य संतोष जनक प्रमाणित किया जाय।

(2) ऐसे आरक्षित रिक्त पदों की पूर्ति नियम 6 (12) के अधीन आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा फल के आधार पर की जायेगी यदि अभ्यर्थी उस स्तर तक के हों जो आयोग उपयुक्त समझे।

(3) उपनियम (2) के अधीन चयन किये हुये व्यक्तियों तथा नियम 6(12) के अन्तर्गत आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में सीधी भर्ती के लिये चयन किये गये अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में पृथक सूचियां बनायी जायेगी तथा उनमें परस्पर ज्येष्ठता निर्धारित करने के लिये दोनों सूचियों को इस प्रकार आपस में मिलाया जायेगा कि प्रथम स्थान पर आरक्षित पदों के लिये चयन किये गये विभागीय अभ्यर्थियों में प्रथम व्यक्ति होगा और उसके बाद द्वितीय स्थान पर सीधी भर्ती के लिये चयन किये गये अभ्यर्थियों में का प्रथम व्यक्ति होगा। इसी क्रम से दोनों सूचियों को सम्मिलित करके एक ज्येष्ठता सूची तैयार की जायेगी।

नियम 20 का संशोधन

11-उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 20 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

(20) अवर वर्ग सहायक के रिक्त पदों में आरक्षण-

(1) नियुक्ति प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार प्रत्येक वर्ष अवर वर्ग सहायक के रिक्त पदों की कुल संख्या के आधे से

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

(19) समीक्षा अधिकारी के पदों में रिक्तियों का आरक्षण-

(1) नियम-6 के खण्ड (1-घ) के अधीन गठित चयन समिति द्वारा पचास प्रतिशत सीधी भर्ती के माध्यम से।

(2) पचास प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त सहायक समीक्षा अधिकारियों में से, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(3) यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां दोनों, सीधी भर्ती और पदोन्नति द्वारा की जाती हैं तो एक सम्मिलित चयन सूची, सुसंगत सूचियों से अभ्यर्थियों के नामों को लेकर इस रीति से तैयार की जायेगी कि विहित प्रतिशत अनुरक्षित रहे। उक्त सूची में प्रथम नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

(4) किसी श्रेणी के पद पर, मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता, समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

(20) सहायक समीक्षा अधिकारियों के पदों में रिक्तियों का आरक्षण-

(1) पचास प्रतिशत, नियम 6 के खण्ड (1-घ) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

अनधिक रिक्त पद उस वर्ष उन व्यक्तियों के लिये आरक्षित होंगे जिनकी आयोग द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिये नियत दिनोंक को न्यूनतम तीन वर्ष की अस्थायी सेवा उक्त पद पर हो तथा जिनका कार्य संतोषजनक प्रमाणित किया जाय:

प्रतिबन्ध यह है कि उनकी आयु भर्ती किये जाने वाले वर्ष की जुलाई के प्रथम दिन 35 वर्ष से अनधिक हो।

(2) ऐसे आरक्षित रिक्त पदों की पूर्ति आयोग द्वारा नियम 6(14) के अन्तर्गत आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के फल के आधार पर की जायेगी, यदि अभ्यर्थी उस स्तर तक के हों जो आयोग उपयुक्त समझे।

12-उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 21 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

(21) चयन द्वारा सीधी भर्ती-

(1) सचिव या मार्शल के पद के रिक्त होने पर यथाशीघ्र नियुक्ति प्राधिकारी आयोग को रिक्त पदों की सूचना देगा तथा आयोग से आवश्यक विज्ञापन द्वारा आवेदन-पत्र आमंत्रित कर उपयुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों का चयन करने को कहेगा।

(2) आयोग, पद विशेष के लिये नियत अर्हताओं के अनुसार, प्रथम दृष्टया पात्र अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये बुलायेगा।

(3) ऐसी साक्षात्कार के समय आयोग की सहायता के लिये सभापति द्वारा नाम-निर्देशित सचिवालय या सभा सचिवालय का अथवा संसद या किसी अन्य राज्य के विधान मण्डल के सदन के सचिवालय का या राज्य सरकार का कोई अधिकारी भी उपस्थित रहेगा।

(4) साक्षात्कार के पश्चात् आयोग यथाशीघ्र नियुक्ति प्राधिकारी के पास योग्यता के आधार पर चयन किये गये उतने नामों की सूची भेजेगा जो रिक्त पदों की संख्या के दूने हों।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी सूची में से क्रमानुसार अभ्यर्थियों का चयन करेगा यदि वह संतुष्ट हो कि वे अन्य दृष्टियों से भी अर्ह है।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

(2) पचास प्रतिशत, मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे कम्प्यूटर सहायकों में से, जिन्होंने इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

नियम 21 का संशोधन

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

(21) रिक्तियों का अवधारण तथा सीधी भर्ती की प्रक्रिया-

(1) नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती वर्ष के प्रक्रम के दौरान सीधी भर्ती के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या, जो भर्ती के समय यथा प्रवृत्त शासनादेशों के अनुसार हों, अवधारित करेगा।

(2) सीधी भर्ती के लिये विज्ञापन, प्रमुख दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया जायेगा।

(3) प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुज्ञा के लिये आवेदन, नियम 6 के खण्ड (1-घ) में निर्दिष्ट चयन समिति द्वारा विज्ञापन में प्रकाशित प्रपत्र पर आमंत्रित किया जायेगा।

(4) चयन समिति यथास्थिति लिखित परीक्षा तथा/अथवा साक्षात्कार हेतु ऐसे अभ्यर्थियों को आमंत्रित करेगी जो प्रथमदृष्टया पद/पदों के लिये विहित अर्हताओं के अनुसार पात्र हों।

(5) यथास्थिति लिखित परीक्षा तथा/अथवा साक्षात्कार के परिणामों के प्राप्त हो जाने तथा उन्हें सारणीबद्ध किये जाने के पश्चात् चयन समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

जातियों तथा अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये, यथास्थिति लिखित परीक्षा तथा/अथवा साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंको द्वारा यथा प्रकटित योग्यता क्रम में अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगा तथा उतनी संख्या में अभ्यर्थियों की संस्तुति करेगा जितना वह नियुक्ति हेतु उचित समझे। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करें तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा। चयन समिति, सूची, नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

(6) समस्त अपेक्षाओं को पूरा करने के पश्चात, नियुक्ति प्राधिकारी, उसी क्रम में अभ्यर्थियों के नामों, जैसा कि चयन समिति द्वारा तैयार की गयी सूची/सूचियों में विद्यमान हों, को लेकर नियुक्तियां करेगा।

नियम 22 का संशोधन

13-उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 22 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

(22) परीक्षा-

(1) आयोग, सभापति के परामर्श से, इन नियमों के अन्तर्गत सीधी भर्ती के लिये आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के पाठ्यक्रम एवं नियम बनायेगा।

(2) जब तक कि आयोग द्वारा प्रदत्त प्रवेश-पत्र नहीं होगा कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा में प्रवेश नहीं प्राप्त कर सकेगा।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

(22) परीक्षा-

(1) इस नियमावली के अधीन सीधी भर्ती के लिये प्रतियोगिता परीक्षाओं के पाठ्यक्रम एवं नियम पृथक से सभापति के अनुमोदन से बनाये जायेंगे।

(2) सभापति किसी वाह्य अभिकरण, यदि अपेक्षित हो, को सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया या उसके आंशिक भाग को संचालित करने के लिये प्राधिकृत कर सकते हैं।

(3) सभापति द्वारा, प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में चयन किये जाने का विनिश्चय किये जाने की स्थिति में चयन समिति, नियम-6 के खण्ड (1-घ) के अनुसार गठित की जायेगी।

नियम 23 का संशोधन

14-उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 23 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

(23) परीक्षाफल के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन-

(1) आयोग प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रत्येक अभ्यर्थी को दिये गये सम्पूर्ण अंकों के

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

(23) परीक्षाफल के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन-

(1) यथास्थिति लिखित परीक्षा तथा/अथवा साक्षात्कार का परिणाम प्राप्त हो जाने तथा

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

आधार पर अभ्यर्थियों की एक योग्यता सूची तैयार करेगा और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेगा। यदि कुछ अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंक एक समान हों तो आयोग ऐसे अभ्यर्थियों के मामलों की स्वयं परीक्षा करेगा और उनके नाम, उनकी आयु, उनके द्वारा विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों तथा परीक्षा के विषयों की पारस्परिक महत्ता का यथोचित ध्यान रखते हुए योग्यता के आधार पर व्यवस्थित करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी योग्यता सूची में से क्रमानुसार अभ्यर्थियों का चयन करेगा, यदि वह संतुष्ट हो कि वे अन्य दृष्टियों से भी अर्ह हैं।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी किसी अभ्यर्थी की राष्ट्रीयता, आयु, चरित्र तथा आचरण से सम्बद्ध अर्हताओं के लिये ऐसी जाँच कर सकेगा जिसे आवश्यक समझे और यदि उसके मत में ऐसी जाँच के परिणाम उनमें से किसी के सम्बन्ध में असन्तोषजनक हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित कर देगा। यदि इस प्रकार कोई अभ्यर्थी अनर्ह हो जाता है तो नियुक्ति प्राधिकारी यह निश्चय करेगा कि प्रवीणता सूची में उसके बाद का निकटतम दूसरा अभ्यर्थी, जो अन्यथा अर्ह हो, का चयन किया जाय अथवा नहीं।

15-उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 24 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

(24) शुल्क-

प्रत्येक अभ्यर्थी आवेदन-पत्र, साक्षात्कार अथवा परीक्षा के लिये ऐसा शुल्क आयोग को देगा जो समय-समय पर राज्यपाल द्वारा आयोग के परामर्श से नियत किया जाय। साधारणतया इन शुल्कों को वापस करने का कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा और न ही भविष्य में होने वाली किसी परीक्षा अथवा चयन के लिये ऐसा शुल्क जमा किया जायेगा।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

सारणीबद्ध किये जाने के पश्चात् चयन समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये, यथास्थिति लिखित परीक्षा तथा/अथवा साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों द्वारा यथा प्रकटित योग्यता क्रम में अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगा तथा उतनी संख्या में अभ्यर्थियों की संस्तुति करेगा जितना वह नियुक्ति हेतु उचित समझे। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करें तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा। चयन समिति, सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

(2) समस्त अपेक्षाओं को पूरा करने के पश्चात्, नियुक्ति प्राधिकारी, उसी क्रम में जैसा चयन समिति द्वारा तैयार की गयी सूची/सूचियों में विद्यमान हों, के नामों को लेकर नियुक्तियां करेगा।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

(24) शुल्क-

प्रत्येक अभ्यर्थी को आवेदन-पत्र, साक्षात्कार अथवा परीक्षा के लिये ऐसे शुल्क का संदाय करना होगा जैसा कि समय-समय पर सभापति द्वारा नियत किया जाय। सामान्यतः ऐसे शुल्कों के प्रतिदाय का कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा और न ही भविष्य में आयोजित की जाने वाली किसी परीक्षा अथवा चयन के लिये ऐसी शुल्कों का समायोजन किया जायेगा।

नियम 24 का संशोधन

नियम 25 का संशोधन

16-उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 25 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

(25) आवेदन-पत्र-

इन नियमों के अन्तर्गत प्रतियोगिता परीक्षाओं अथवा चयन द्वारा आयोग के परामर्श से भर्ती के लिये प्रत्येक आवेदन-पत्र आयोग द्वारा नियत प्रपत्र में भेजना होगा जो आयोग के सचिव से प्राप्त किया जा सकेगा।

नियम 27 का संशोधन

17-उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 27 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

(27) समिति अधिकारी, अनुभाग अधिकारी आदि के पद पर भर्ती की प्रक्रिया-

(1) नियुक्ति प्राधिकारी यथास्थिति समिति अधिकारी, अनुभाग अधिकारी, निजी सचिव (प्रवरण श्रेणी), निजी सचिव (ग्रेड-2), मुख्य प्रतिवेदक या उप मुख्य प्रतिवेदक के पद के लिये नियम 6 तथा 10 के अधीन पात्र अभ्यर्थियों में से ज्येष्ठतम पात्र अभ्यर्थियों की एक सूची, जो पात्रता सूची कही जायेगी तैयार करेगा, जिसमें, यथासम्भव, निम्नलिखित अनुपात में नाम दिये जायेंगे:

1 से 5 रिक्तियों के लिये	रिक्तियों की संख्या का पांच गुना किन्तु कम से कम 15
6 से 12 रिक्तियों के लिये	रिक्तियों की संख्या का चार गुना किन्तु कम से कम 25
12 रिक्तियों से अधिक के लिये	रिक्तियों की संख्या का तीन गुना किन्तु कम से कम 50

प्रतिबन्ध यह है कि यदि भर्ती ऐसी रिक्तियों के लिये, जो भर्ती के एक वर्ष से अधिक अवधि के दौरान हुई हो, की जानी हो तो प्रत्येक ऐसे वर्ष के सम्बन्ध में पृथक पात्रता सूची तैयार की जायेगी। उस दशा में भर्ती के द्वितीय तथा अनुवर्ती वर्षों के लिये

स्तम्भ-2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

(25) आवेदन-पत्र-

इस नियमावली के अधीन चयन के लिये प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भर्ती हेतु प्रत्येक आवेदन-पत्र, नियुक्ति प्राधिकारी को, सम्बन्धित चयन समिति के आदेश द्वारा अवधारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जायेगा।

स्तम्भ-2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

(27) चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया-

(1) पदोन्नति द्वारा भर्ती यथास्थिति नियम 6 के खण्ड (1-क) या खण्ड (1-ख) अथवा खण्ड (1-घ) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी।

(2) जहाँ पदोन्नति के लिये मानदण्ड योग्यता हो, वहाँ नियुक्ति प्राधिकारी ज्येष्ठतम अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगा, जिसमें नाम, यथा सम्भव रिक्तियों की संख्या के तीन गुना किन्तु न्यूनतम आठ होंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि भर्ती एक से अधिक भर्ती वर्ष के दौरान होने वाली रिक्तियों के लिये की जानी हो तो ऐसे प्रत्येक वर्ष के सम्बन्ध में पृथक-पृथक पात्रता सूचियाँ तैयार की जायेंगी और ऐसी स्थिति में भर्ती के द्वितीय और अनुवर्ती वर्षों के लिये पात्रता सूची तैयार करते समय, पात्रता सूची में सम्मिलित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या निम्नलिखित होगी:-

(i) द्वितीय वर्ष के लिये- उक्त अनुपात के अनुसार संख्या और प्रथम वर्ष की रिक्तियों की संख्या का योग।

(ii) तृतीय वर्ष के लिये- उक्त अनुपात के अनुसार संख्या और प्रथम और द्वितीय वर्ष की रिक्तियों की संख्या का योग और इसी प्रकार आगे भी :

प्रतिबन्ध यह और है कि जिन अभ्यर्थियों को प्रथम दृष्ट्या, पदोन्नति के लिये उपयुक्त न समझा जाय, उनकी गणना उक्त अनुपात के

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

पात्रता सूची तैयार करते समय पात्रता सूची में सम्मिलित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या इस प्रकार रखी जायेगी:-

(क) **द्वितीय वर्ष के निमित्त**-उक्त अनुपात के अनुसार संख्या और प्रथम वर्ष के निमित्त रिक्तियों की संख्या का योग।

(ख) **तृतीय वर्ष के निमित्त**-उक्त अनुपात के अनुसार संख्या और प्रथम तथा द्वितीय वर्ष के निमित्त रिक्तियों की संख्या का योग, और इसी प्रकार आगे भी:

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि जिन अभ्यर्थियों को प्रथम दृष्टया पदोन्नति के लिये उपयुक्त न समझा जाय, उनकी गणना उक्त अनुपात के निमित्त नहीं की जायेगी और उनके नाम के सामने उनके सम्बन्ध में इस प्रकार विचार न किये जाने के आशय की एक टिप्पणी लिख दी जायेगी।

स्पष्टीकरण 1 "रिक्तियों की संख्या" का तात्पर्य ऐसी मौलिक, अस्थायी या स्थानापन्न रिक्तियों की कुल संख्या से है जो सूची "ख" के अभ्यर्थियों के मौलिक रिक्तियों के प्रति संविलीन किये जाने की सम्भावना पर विचार करने के पश्चात् भर्ती के वर्ष में हुई हो।

स्पष्टीकरण 2

(1) सभी प्रकार की रिक्तियों को समाविष्ट करने के लिये पात्रता की एकल सूची तैयार की जायेगी।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी पात्रता की सीमा में आने वाले समस्त व्यक्तियों की पदक्रम सूची तथा पात्रता की सूची या सूचियां और उसमें या उनमें सम्मिलित अभ्यर्थियों की चरित्र पंजियां आयोग को प्रेषित करेगा और उसे विभिन्न प्रकार की रिक्तियों की संख्या भी सूचित करेगा जिन पर सूची या सूचियां तैयार करने के प्रयोजन से विचार किया गया हो।

(3) यदि किसी मामले में आयोग को यह प्रतीत हो कि उप नियम (2) के अधीन उसे प्राप्त सूची या सूचियों में सम्मिलित नामों में से अपेक्षित संख्या में उपयुक्त अभ्यर्थी प्राप्त न हो सकेंगे तो वह नियुक्ति प्राधिकारी से उतनी अधिक संख्या में ज्येष्ठता अथवा सभी पात्र अभ्यर्थियों के नाम और चरित्र पंजियां उसमें सम्मिलित करने के लिये कह सकता है जिन्हें वह उचित समझे, और नियुक्ति

स्तम्भ-2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

लिये नहीं की जायेगी और उनके नाम के समक्ष उनके सम्बन्ध में इस प्रकार विचार न किये जाने के आशय की एक टिप्पणी उल्लिखित कर दी जायेगी।

(3) जहाँ पदोन्नति के लिये मानदण्ड 'अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता' हो, वहाँ नियुक्ति प्राधिकारी प्रत्येक वर्ष में उपलब्ध रिक्तियों के आलोक में ज्येष्ठतम पात्र अभ्यर्थियों की एक सूची, यथा सम्भव निम्नलिखित अनुपात में तैयार करेगा :-

(i) 1 से 5 रिक्तियों के लिये-

रिक्तियों की संख्या का दोगुना किन्तु कम से कम पांच;

(ii) 5 से अधिक रिक्तियों के लिये-

रिक्तियों की संख्या का डेढ़ गुना किन्तु कम से कम दस;

प्रतिबन्ध यह है कि यदि भर्ती, एक से अधिक भर्ती वर्ष के दौरान होने वाली रिक्तियों के लिये की जानी हो तो ऐसे प्रत्येक वर्ष के सम्बन्ध में पृथक-पृथक पात्रता सूचियां तैयार की जायेगी और ऐसी स्थिति में द्वितीय और अनुवर्ती भर्ती वर्ष के लिये पात्रता तैयार करने के दौरान पात्रता सूची में सम्मिलित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या निम्नलिखित होगी:-

(i) **द्वितीय वर्ष के लिये**-उक्त अनुपात के अनुसार संख्या और प्रथम वर्ष में रिक्तियों की संख्या का योग;

(ii) **तृतीय वर्ष के लिये**-उक्त अनुपात के अनुसार संख्या और प्रथम और द्वितीय वर्ष में रिक्तियों की संख्या का योग और इसी प्रकार आगे भी :

प्रतिबन्ध यह और है कि जिन अभ्यर्थियों को प्रथम दृष्टया, पदोन्नति के लिये उपयुक्त न समझा जाये, उनकी गणना उक्त अनुपात के लिये नहीं की जायेगी और इस आशय की टिप्पणी, कि उन पर विचार नहीं किया गया है, उनके नामों के समक्ष उल्लिखित कर दी जायेगी।

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

प्राधिकारी तदनुसार उपनियम(1) में दी हुई किसी बात के होते हुये भी, उक्त सूची या सूचियों को पुनरीक्षित करेगा।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक चयन समिति संघटित की जायेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे:-

(क) आयोग का अध्यक्ष या उसके द्वारा नामांकित अन्य सदस्य, जो समिति का अध्यक्ष होगा।

(ख) प्रमुख सचिव, विधान सभा तथा

(ग) प्रमुख सचिव, विधान परिषद।

(5)(क) नियुक्ति प्राधिकारी आयोग के परामर्श से चयन के लिये कोई दिनांक निश्चित करेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि चयन कार्य एक या उससे अधिक दिनों तक किया जा सकता है।

(ख) यदि आयोग या नियुक्ति प्राधिकारी यह आवश्यक समझे कि पात्रता की सूची या सूचियों में समाविष्ट समस्त या किसी भी अभ्यर्थी का साक्षात्कार चयन समिति द्वारा किया जाना चाहिए तो नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति ऐसे अभ्यर्थियों या अभ्यर्थी को उक्त प्रयोजन के लिये उपयुक्त दिनांक या दिनांकों पर बुलायेगा।

(ग) चयन समिति प्रत्येक मामले में अभ्यर्थियों की चरित्र पंजियों पर विचार करेगी और किसी अन्य बात पर भी विचार कर सकती है, जो उसकी राय में संगत हो।

(6)(क) चयन समिति योग्यता के अनुसार निम्नलिखित रूप से दो सूचियों तैयार करेगी, अर्थात्:-

(1) सूची क- जिसमें उपनियम (2) के अधीन आयोग को सूचित की गयी स्थायी रिक्तियों के प्रति मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने के लिए सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों के नाम होंगे।

(2) सूची ख- जिसमें उपनियम (2) के अधीन आयोग को सूचित की गयी अस्थायी या स्थानापन्न नियुक्तियों के लिये सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों के नाम तथा ऐसे अभ्यर्थियों के नाम, यदि कोई हों, होंगे जो उपनियम (9) के खण्ड (ख) के अनुसार किसी विचाराधीन सूची ख पर पुनर्विचार करने पर अग्रणीत हो:

स्तम्भ-2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

प्रतिबन्ध यह है कि यदि भर्ती ऐसी रिक्तियों के लिये जो भर्ती के एक वर्ष से अधिक अवधि के दौरान हुई हो, की जाय जो प्रत्येक ऐसे वर्ष के सम्बन्ध में चयन उस वर्ष के लिये तैयार की गयी पात्रता सूची से किया जायेगा। ऐसी दशा में, किसी वर्ष की रिक्तियों के प्रति चुने गये अभ्यर्थियों के नाम उसके बाद के वर्ष या वर्षों की पात्रता सूची या सूचियों में से, द्वितीय और अनुवर्ती वर्षों की पात्रता सूचियों से चयन करने के पूर्व निकाल दिये जायेंगे।

(ख) खण्ड (क) में किसी बात के होते हुए भी उस दशा में सूची (क) को तैयार करने की आवश्यकता नहीं है जब स्थायी रिक्तियों की संख्या सूची 'ख' से स्थायी रिक्तियों में लिये जाने वाले शेष अभ्यर्थियों की संख्या से अधिक न हो।

(7) आयोग चयन समिति की सिफारिशों पर विचार करेगा और तत्पश्चात् अनुमोदित सूची 'क' तथा 'ख' की नियुक्ति प्राधिकारी को भेजेगा।

(8) उपनियम (9) के खण्ड (क) के उपबन्धों तथा खण्ड (ख) के अधीन रहते हुये नियुक्ति प्राधिकारी ज्येष्ठता क्रम से सूची 'क' तथा 'ख' में से प्रत्येक को फिर से क्रमबद्ध करेगा।

(9)(क) सूची 'क' में समाविष्ट अभ्यर्थियों के नाम, जिनके लिये भर्ती के वर्ष के दौरान स्थायी रिक्तियाँ उपलब्ध नहीं हो सकती, वर्ष के अन्त में सूची 'ख' में सबसे ऊपर उसी क्रम में स्थानान्तरित कर दिये जायेंगे जिस क्रम में उप नियम (8) के अधीन क्रमबद्ध सूची 'क' में उनके नाम आये हों।

(ख) सूची 'ख' में समाविष्ट ऐसे अभ्यर्थियों के नामों पर, जिनके लिये वर्ष के दौरान रिक्तियाँ उपलब्ध नहीं हो सकती, प्रत्येक आगामी चयन के समय पुनर्विचार किया जायेगा और यदि भर्ती के आगामी वर्ष के लिये संघटित चयन समिति का यह विचार हो कि पूर्ववर्ती चयन के उपरान्त किसी अभ्यर्थी का कार्य या आचरण उसे उक्त सूची से हटाने का औचित्य प्रदान कर सकें तो वह उस सूची से उसका नाम हटा सकती है।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे अभ्यर्थी, जिनका चयन सूची 'ख' के लिये पहली बार हुआ है

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

प्रतिबन्ध यह है कि यदि भर्ती ऐसी रिक्तियों के लिये जो भर्ती के एक वर्ष से अधिक अवधि के दौरान हुई हो, की जाय जो प्रत्येक ऐसे वर्ष के सम्बन्ध में चयन उस वर्ष के लिये तैयार की गयी पात्रता सूची से किया जायेगा। ऐसी दशा में, किसी वर्ष की रिक्तियों के प्रति चुने गये अभ्यर्थियों के नाम उसके बाद के वर्ष या वर्षों की पात्रता सूची या सूचियों में से, द्वितीय और अनुवर्ती वर्षों की पात्रता सूचियों से चयन करने के पूर्व निकाल दिये जायेंगे।

(ख) खण्ड (क) में किसी बात के होते हुए भी उस दशा में सूची (क) को तैयार करने की आवश्यकता नहीं है जब स्थायी रिक्तियों की संख्या सूची 'ख' से स्थायी रिक्तियों में लिये जाने वाले शेष अभ्यर्थियों की संख्या से अधिक न हो।

(7) आयोग चयन समिति की सिफारिशों पर विचार करेगा और तत्पश्चात् अनुमोदित सूची 'क' तथा 'ख' की नियुक्ति प्राधिकारी को भेजेगा।

(8) उपनियम (9) के खण्ड (क) के उपबन्धों तथा खण्ड (ख) के अधीन रहते हुये नियुक्ति प्राधिकारी ज्येष्ठता क्रम से सूची 'क' तथा 'ख' में से प्रत्येक को फिर से क्रमबद्ध करेगा।

(9)(क) सूची 'क' में समाविष्ट अभ्यर्थियों के नाम, जिनके लिये भर्ती के वर्ष के दौरान स्थायी रिक्तियाँ उपलब्ध नहीं हो सकती, वर्ष के अन्त में सूची 'ख' में सबसे ऊपर उसी क्रम में स्थानान्तरित कर दिये जायेंगे जिस क्रम में उप नियम (8) के अधीन क्रमबद्ध सूची 'क' में उनके नाम आये हों।

(ख) सूची 'ख' में समाविष्ट ऐसे अभ्यर्थियों के नामों पर, जिनके लिये वर्ष के दौरान रिक्तियाँ उपलब्ध नहीं हो सकती, प्रत्येक आगामी चयन के समय पुनर्विचार किया जायेगा और यदि भर्ती के आगामी वर्ष के लिये संघटित चयन समिति का यह विचार हो कि पूर्ववर्ती चयन के उपरान्त किसी अभ्यर्थी का कार्य या आचरण उसे उक्त सूची से हटाने का औचित्य प्रदान कर सकें तो वह उस सूची से उसका नाम हटा सकती है।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे अभ्यर्थी, जिनका चयन सूची 'ख' के लिये पहली बार हुआ है

स्तम्भ-1**विद्यमान नियम**

उन अभ्यर्थियों के नीचे रखे जायें जो उस सूची में पहले से ही हों।

(10)(क) सूची 'क' में समाविष्ट ऐसे अभ्यर्थी स्थायी रिक्तियों के प्रति उसी क्रम में नियुक्त किये जायेंगे जिस क्रम में उपनियम (8) के अधीन फिर से क्रम सूची में उनके नाम आयें हों।

(ख) सूची 'क' में समाविष्ट ऐसे अभ्यर्थी जिनके लिये स्थायी रिक्तियाँ तत्काल उपलब्ध न हों, सूची (ख) में समाविष्ट अभ्यर्थी के अधिमान में अस्थायी या स्थानापन्न रिक्तियों के प्रति उक्त क्रम में, नियुक्त किये जायेंगे।

(11) उपनियम (10) के खण्ड (ख) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, सूची 'ख' में समाविष्ट अभ्यर्थी, अस्थायी या स्थानापन्न रिक्तियों के प्रति तथा सूची 'क' के निःशेष हो जाने पर स्थायी रिक्तियों के प्रति भी उसी क्रम में नियुक्त किये जायेंगे जिस क्रम में उपनियम (8) के अधीन फिर से क्रमबद्ध सूची में उनके नाम आयें हों:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि नियुक्ति प्राधिकारी को किसी समय यह प्रतीत हो कि अस्थायी या स्थानापन्न रिक्ति के प्रति नियुक्त सेवा के सदस्य ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है अथवा अन्य प्रकार से संतुष्ट करने में असफल रहा है, तो वह उसे बिना कोई कारण दिये, उस पद पर प्रत्यावर्तित कर सकता है, जिस पर से उसकी पदोन्नति हुई थी।

(12) उपनियम (11) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सूची 'ख' के शेष अभ्यर्थी भर्ती के आगामी वर्ष में सूची 'क' के लिये पहली बार चयन किये गये किसी अभ्यर्थी के अधिमान में नई मौलिक रिक्तियों के प्रति नियुक्त किये जायेंगे।

नियम 28 का
निकाला जाना

18-उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 28 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1**विद्यमान नियम**

वृत्त लेखक प्रवरण श्रेणी के पद पर भर्ती की प्रक्रिया-

(1) सिवाय उपनियम (3) में की गयी अन्यथा व्यवस्था के नियुक्ति प्राधिकारी

स्तम्भ-2**एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम**

वृत्त लेखक प्रवरण श्रेणी के पद पर भर्ती की प्रक्रिया-

(1) सिवाय उपनियम (3) में की गयी अन्यथा व्यवस्था के नियुक्ति प्राधिकारी

वृत्त लेखक प्रवरण श्रेणी के पद पर भर्ती की प्रक्रिया-

(1) सिवाय उपनियम (3) में की गयी अन्यथा व्यवस्था के नियुक्ति प्राधिकारी

स्तम्भ-2**एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम**

निकाल दिया गया।

स्तम्भ-1**विद्यमान नियम**

ज्येष्ठतम से अभ्यर्थियों को जो नियम-6 के अधीन वृत्त लेखक (प्रवरण श्रेणी) के लिये पात्र हों, एक सूची जो पात्रता सूची कहलायेगी तैयार करेगा और जिसमें, यथासम्भव, निम्नलिखित अनुपात में नाम दिये जायेंगे।

1 से 5 तक रिक्तियों के लिये-

रिक्तियों की संख्या का दुगुना किन्तु कम से कम 5

5 से अधिक रिक्तियों के लिये-

रिक्तियों की संख्या से डेढ़ गुना किन्तु कम से कम 10

नियम-2 के उप नियम (1) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड तथा स्पष्टीकरण आवश्यक परिवर्तन के साथ इस नियम में लागू होंगे।

(2) नियम-27 में नियत शेष प्रक्रिया आवश्यक परिवर्तन के साथ इस नियम के अधीन की गयी पदोन्नति पर लागू होगी, सिवाय इसके कि नियम-27 में अभिविष्ट सूची 'क' और 'ख' दोनों में से प्रत्येक चयन समिति द्वारा अनुपयुक्त व्यक्तियों को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता क्रम में तैयार की जायेगी और उपयुक्त समझे गये अभ्यर्थियों में से ज्येष्ठतम अभ्यर्थी सूची 'क' में रखे जायेंगे।

(3) उप नियम (1) तथा (2) में किसी बात के होते हुये भी यदि किसी दशा में भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या कम हो और नियुक्ति प्राधिकारी का यह विचार हो कि ज्येष्ठतम अभ्यर्थी या अभ्यर्थीगण पदोन्नति के लिये पूर्णतः योग्य है और तदनुसार कोई अतिक्रमण नहीं होता है तो आयोग यदि वह नियुक्ति प्राधिकारी के विचार से सहमत हों, प्रस्ताव का सीधे अनुमोदन कर सकता है। उस दशा में कोई भी चयन समिति संघटित करने की आवश्यकता नहीं है और इस प्रकार अनुमोदित अभ्यर्थीगण पदोन्नति के लिये यथाविधि चयन किये गये समझे जायेंगे।

19-उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 33 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1**विद्यमान नियम****(33) परिवीक्षा-**

(1) सचिवालय में किसी पद पर मौलिक नियुक्ति के लिये 2 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

स्तम्भ-2**एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम****स्तम्भ-2****एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम****(33) परिवीक्षा**

किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किया गया व्यक्ति उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 (समय-समय पर यथासंशोधित) के अनुसार परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

नियम 33 का संशोधन

स्तम्भ-1
विद्यमान नियम

(2) परीक्षा का काल पदभार ग्रहण करने की तिथि से गिना जायेगा।

(3) संवर्ग के किसी पद पर अथवा किसी उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा नियुक्ति प्राधिकारी के स्व-विवेक में परीक्षा-अवधि के लिये संगणना में सम्मिलित की जा सकती है।

(4) परीक्षा अवधि-सामान्यतः एक वर्ष तक के लिये लिखित पर्याप्त कारणों के आधार पर बढ़ायी जा सकती है। प्रत्येक बढ़ायी गई परीक्षा अवधि के आदेश में वह

स्तम्भ-2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

इस नियमावली के प्रख्यापन के समय उक्त नियमावली के उपबंध निम्नवत् हैं:-

(1) सीधी भर्ती के माध्यम से, किसी-पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परीक्षा पर रखा जायेगा। नियुक्ति प्राधिकारी व्यक्तिगत मामलों में, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से वह दिनांक, जब तक के लिये अवधि बढ़ायी जाय, विनिर्दिष्ट करते हुये परीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि, आपवादिक परिस्थितियों को छोड़कर, परीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(2) भर्ती के स्रोतों में से यदि एक स्रोत सीधी भर्ती हो तो पदोन्नति द्वारा किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परीक्षा पर रखा जायेगा। नियुक्ति प्राधिकारी, व्यक्तिगत मामलों में, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से वह दिनांक, जब तक के लिये अवधि बढ़ायी जाय, विनिर्दिष्ट करते हुये परीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि, आपवादिक परिस्थितियों को छोड़कर परीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) सुसंगत सेवा नियमावली में विहित प्रक्रिया के अनुसरण में किसी पद पर समायोजन, आमेलन या संविलियन द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को एक वर्ष की अवधि के लिये परीक्षा पर रखा जायेगा। नियुक्ति प्राधिकारी व्यक्तिगत मामलों में, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से वह दिनांक, जब तक के लिये अवधि बढ़ायी जाय, विनिर्दिष्ट करते हुये परीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि, आपवादिक परिस्थितियों को छोड़कर परीक्षा अवधि छः माह से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी और किसी भी परिस्थिति में एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(4) किसी व्यक्ति को परीक्षा पर रखना आवश्यक न होगा, यदि उसे किसी ऐसे पद पर पदोन्नत किया गया हो, जहाँ भर्ती का स्रोत केवल पदोन्नति हो।

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

ठीक दिनोंक निर्दिष्ट होगा जब तक के लिये वह बढ़ायी गयी हो। विशेष परिस्थितियों में परीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक समय तक के लिये भी बढ़ायी जा सकेगी। परन्तु शर्त यह है कि परीक्षा अवधि दो वर्ष से अधिक न बढ़ायी जा सकेगी।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

(5) यदि परीक्षा अवधि में अथवा परीक्षा अवधि की समाप्ति पर या बढ़ायी गयी परीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है अथवा अन्यथा वह संतुष्टि प्रदान करने में विफल रहा है तो, उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(6) ऐसा परीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उप नियम (5) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाये या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(7) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परीक्षा अवधि की गणना करने के प्रयोजनार्थ, जोड़े जाने की अनुमति दे सकता है।

20-उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 40 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

नियम 40 का संशोधन

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

(40) प्रतिनियुक्ति पर सेवा की शर्तें :

ऐसे निर्बन्धनों के अधीन और ऐसी सीमा तक जो नियुक्ति प्राधिकारी उधारदायी प्राधिकारी तथा वित्त विभाग की सहमति से आदेश द्वारा नियत करें, सचिवालय में प्रतिनियुक्ति किसी व्यक्ति को, उसकी सचिवालय में किसी पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि में सेवा की उन्हीं शर्तों के अधीन रहने की अनुज्ञा दी जा सकेगी जिनका वह सचिवालय में अपनी प्रतिनियुक्ति के ठीक पूर्व अधिकारी था।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

(40) प्रतिनियुक्ति पर सेवा की शर्तें :

ऐसे निर्बन्धनों के अधीन और ऐसी सीमा तक, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी, उधारदायी प्राधिकारी तथा वित्त विभाग की सहमति से, आदेश द्वारा अवधारित करें, सचिवालय में किसी पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति को, सेवा की उन्हीं शर्तों के अधीन बने रहने की अनुज्ञा दी जा सकेगी जिनके लिये वह सचिवालय में अपनी प्रतिनियुक्ति के ठीक पूर्व हकदार था :

प्रतिबन्ध यह है कि इस नियमावली को अधिसूचित किये जाने के समय प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन वर्ष है जिसे पाँच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

नियम 48 का संशोधन 21-उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 48 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1
विद्यमान नियम
(48) सभापति की शिथिलीकरण की शक्ति :
सभापति असाधारण परिस्थितियों में और आयोग के परामर्श से किसी पद के लिये इस नियमों में निर्धारित आयु सीमा को तथा शैक्षिक अर्हता के अतिरिक्त, अन्य अर्हताओं को, शिथिल कर सकते हैं।

स्तम्भ-2
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
(48) नियमों को शिथिल करने की सभापति की शक्ति :
सभापति, आपवादिक परिस्थितियों में इस नियमावली में किसी पद के लिये विहित शैक्षिक अर्हता से भिन्न, आयु सीमा और अन्य अर्हताओं में शिथिलता प्रदान कर सकते हैं।

परिशिष्ट-1
का संशोधन

22-उक्त नियमावली में, नीचे अनुसूची-क में, दी गयी परिशिष्ट-1 के स्थान पर अनुसूची-ख में दी गयी परिशिष्ट रख दी जायेगी, अर्थात्:-

अनुसूची-क विद्यमान परिशिष्ट परिशिष्ट-1 [नियम-3(3) तथा 30 देखें]				अनुसूची-ख एतद्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट परिशिष्ट-1 [नियम-3(3) तथा 30 देखें]						
				राजपत्रित अधिकारी						
				क्रम संख्या	पद नाम	पदों की संख्या			वेतन	
पदनाम	वेतनमान (रूपये)	पदों की संख्या	रिमार्कस			स्थायी	अस्थायी	कुल	पे-मैट्रिकल लेवल	वेतन
1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7
सचिव विधान परिषद्	182200-224100	1	स्थायी	1	प्रमुख सचिव	1	-	1	15	182200-224100
समिति अधिकारी	500-25-650-30-800-50-1,000 या 800-50-1100	1	1 स्थायी (विशेष वेतन 100 रूपये प्रति माह)	2	विशेष सचिव	1	1	2	13क	131100-216600
अनुभाग अधिकारी	500-25-650-30-800-50-1,000 या 500-25-700-40-900-50-1,000	3	2 स्थायी 1 अस्थायी	3	प्रधान निजी सचिव	1	-	1	13क	131100-216600
निजी सचिव (प्रवरण श्रेणी)	800-50-1,100	1	स्थायी	4	संयुक्त सचिव	1	1	2	13	123100-215900
मुख्य प्रतिवेदक	800-50-1,100	1	स्थायी	5	विशेष सचिव एवं वित्त नियंत्रक	-	1	1	13क	131100-216600

अनुसूची-क विद्यमान परिशिष्ट परिशिष्ट-1 [नियम-3(3) तथा 30 देखें]				अनुसूची-ख एतद्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट परिशिष्ट-1 [नियम-3(3) तथा 30 देखें]						
				राजपत्रित अधिकारी						
पदनाम	वेतनमान (रूपये)	पदों की संख्या	रिमार्कस	क्रम संख्या	पद नाम	पदों की संख्या			वेतन	
						स्थायी	अस्थायी	कुल	पे-मैट्रिक्स लेवल	वेतन
1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7
उप मुख्य प्रतिवेदक	500-25-650-30-800-50-1,000	1	अस्थायी	6	प्रमुख प्रतिवेदक	1	-	1	13	123100-215900
निजी सचिव ग्रेड-(2)	500-25-650-30-800-50-1,000 या 500-25-700-40-900-50-1,000	1	स्थायी	7	निजी सचिव श्रेणी-4	1	1	2	13	123100-215900
मार्शल	550-30-700-50-900-50-1,200	1	अस्थायी	8	उप सचिव	3	1	4	12	78800-209200
हिन्दी रिपोर्टर (सेलेक्शन ग्रेड)	450-25-650-30-800-50-950	1	स्थायी	9	निजी सचिव श्रेणी-3	1	1	2	12	78800-209200
				10	विशेष कार्याधिकारी प्रकाशन	-	1	1	12	78800-209200
हिन्दी रिपोर्टर	450-25-575-25-700-30-850	7	स्थायी	11	मुख्य प्रतिवेदक	1	1	2	12	78800-209200
प्रवर वर्ग सहायक	350-15-500-20-600-25-700	14	10 स्थायी 04 अस्थायी	12	उप मुख्य प्रतिवेदक	2	2	4	11	67700-208700
वैयक्तिक सहायक	350-15-500-20-600-25-700	4	स्थायी	13	अनुसचिव	3	2	5	11	67700-208700
लेखाकार एवं कोषाध्यक्ष	350-15-500-20-600-25-700	1	स्थायी	14	अनुसचिव एवं समिति अधिकारी	2	-	2	11	67700-208700
अवर वर्ग सहायक	280-8-320-9-410-10-450	12	11 स्थायी 1 अस्थायी	15	अनुसचिव एवं विधायी अधिकारी	1	-	1	11	67700-208700
टंकक	200-5-250-6-280-8-320	3	अस्थायी	16	निजी सचिव (श्रेणी-2)	2	2	4	11	67700-208700

अनुसूची-क विद्यमान परिशिष्ट परिशिष्ट-1 [नियम-3(3) तथा 30 देखें]				अनुसूची-ख एतद्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट परिशिष्ट-1 [नियम-3(3) तथा 30 देखें]						
				राजपत्रित अधिकारी						
				क्रम संख्या	पद नाम	पदों की संख्या			वेतन	
पदनाम	वेतनमान (रूपये)	पदों की संख्या	रिमार्कस			स्थायी	अस्थायी	कुल	पे- मैट्रिक्स लेवल	वेतन
1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7
वाहन चालक	185-3-215-4- 235-8-265	2	1 स्थायी 1 अस्थायी (50 रूपये प्रतिमाह विशेष वेतन)	17	मुख्य सम्पादक	1	-	1	11	67700- 208700
जमादार	170-2-190-3- 205-4-225	3	स्थायी	18	मार्शल	1	-	1	10	56100- 177500
दफ्तरी	170-2-190-3- 205-4-225	1	स्थायी							
घपरासी	165-2-185-3- 215	16	स्थायी							
स्वीपर	165-2-185-3- 215	1	स्थायी	19	शोध अधिकारी	1	-	1	10	56100- 177500
				20	अनुभाग अधिकारी	10	-	10	10	56100- 177500
				21	अनुभाग अधिकारी (लेखा)	1	-	1	10	56100- 177500
				22	व्यवस्था अधिकारी	1	-	1	7	44900- 142400
				23	निजी सचिव (श्रेणी-1)	12	-	12	10	56100- 177500
				24	सम्पादक	1	-	1	10	56100- 177500
				25	सूचना अधिकारी	1	-	1	7	44900- 142400
				26	वृत्त लेखक	9	-	9	10	56100- 177500
				27	डिप्टी मार्शल	1	-	1	7	44900- 142400
					योग	60	14	74		

* उत्तर प्रदेश संसदीय कार्य अनु० की अधिसूचना संख्या-1357/सत्रह-सं-1-2003-385/2003 दिनांक 4 अगस्त, 2003 द्वारा प्रतिस्थापित।

अराजपत्रित कर्मचारी (श्रेणी-3)

क्रम- संख्या	पद नाम	पदों की संख्या			वेतनमान	
		स्थायी	अस्थायी	कुल	पे मैट्रिक्स लेवल	वेतन
1	2	3	4	5	6	7
1	समीक्षा अधिकारी	34	—	34	8	47600—151100
2	संदर्भ लिपिक	4	—	4	8	47600—151100
3	अपर निजी सचिव	24	—	24	8	47600—151100
4	सहायक मार्शल	1	—	1	6	35400—112400
5	समीक्षा अधिकारी (लेखा)	2	—	2	8	47600—151100
6	समीक्षा अधिकारी (लेखा)	1	—	1	8	47600—151100
7	शोध सहायक	4	—	4	6	35400—112400
8	सहायक समीक्षा अधिकारी	47	—	47	7	44900—142400 (सहायक समीक्षा अधिकारी के 3 पद, जिन्हें आस्थगित करते हुए कनिष्ठ लिपिक के 3 पद सृजित किये गये हैं, को मूल सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है।)
9	वरिष्ठ सुरक्षा सहायक	1	—	1	4	25500—81100
10	वाहन चालक	8	—	8	—	—
	वाहन चालक ग्रेड-4	—	—	2	2	19900—63200
	वाहन चालक ग्रेड-3	—	—	2	4	25500—81100
	वाहन चालक ग्रेड-2	—	—	2	5	29200—92300
	वाहन चालक ग्रेड-1	—	—	1	6	35400—112400
	वाहन चालक विशेष श्रेणी	—	—	1	7	44900—142400
11	कम्प्यूटर सहायक	1	4	5	4	25500—81100
12	सुरक्षा सहायक (पुरुष)	18	—	18	3	21700—69100
13	सुरक्षा सहायक (महिला)	3	—	3	3	21700—69100
	योग	148	4	152		

अराजपत्रित कर्मचारी (श्रेणी-4)

क्रम संख्या	पद नाम	पदों की संख्या			वेतनमान	
		स्थायी	अस्थायी	कुल	पे मैट्रिक्स लेवल	वेतन
1	2	3	4	5	6	7
1	टाइप राइटर मैकेनिक	1	—	1	2	19900—63200

क्रम संख्या	पद नाम	पदों की संख्या			वेतनमान	
		स्थायी	अस्थायी	कुल	पे मैट्रिक्स लेवल	वेतन
1	2	3	4	5	6	7
2	साइक्लोस्टाइल आपरेटर	3	—	3	2	19900-63200
3	वरिष्ठ अनुसेवक	10	—	10	2	19900-63200
4	दफ्तरी	1	—	1	2	19900-63200
5	अनुसेवक	56	—	56	1	18000-56900
6	स्वीपर	4	—	4	1	18000-56900
	योग	75	—	75		
	पद	स्थायी	अस्थायी	योग		
	राजपत्रित	60	14	74		
	अराजपत्रित (तृतीय श्रेणी)	148	4	152		
	अराजपत्रित (चतुर्थ श्रेणी)	75	—	75		
	कुल योग	283	18	301		

आज्ञा से,
जे०पी० सिंह-II,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 09/XC-S-1-2020-38-S-2003 dated January 14, 2020 :

No. 09/XC-S-1-2020-38-S-2003

Dated Lucknow, January 14, 2020

IN exercise of the powers conferred by clause (3) of Article 187 of the Constitution, the Governor, in consultation with the Chairman of the Uttar Pradesh Legislative Council, is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Legislative Council Secretariat Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1976: -

THE UTTAR PRADESH LEGISLATIVE COUNCIL SECRETARIAT SERVICE
(RECRUITMENT AND CONDITIONS OF SERVICE) (FOURTH AMENDMENT)
RULES, 2019

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Legislative Council Secretariat Service (Recruitment and Conditions of Service) (Fourth Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

2. In the Uttar Pradesh Legislative Council Secretariat Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1976, herein after referred to as the said rules, in rule 2 for clause (v) set out in Column-I below, the clause as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

Amendment of rule 2

COLUMN-I
Existing clause

COLUMN-II
Clause as hereby substituted

(V) 'Competitive Examination' means a competitive examination conducted by the Commission for any post included in the service and includes combined competitive examination conducted by the Commission for such posts and equivalent post in the State Government Secretariat.

(V) 'Competitive Examination' means a written competitive examination conducted in accordance with the procedure laid down in these rules for any post included in the service.

3. (a) In the rule-6, after clause (i-A) the following clauses shall be inserted, namely: -

Amendment of rule 6

(i-B) Special Secretary-

By Promotion, on the basis of merit-cum-seniority from amongst substantively appointed Joint Secretaries through the Selection Committee consisting of;

(a) Chairman, Uttar Pradesh Legislative Council. *Chairman*

(b) Principal Secretary, Uttar Pradesh Legislative Council. *Member*

(c) An Officer not below the rank of Secretary belonging to the scheduled castes or scheduled tribes nominated by Chairman. If the Chairman of selection committee belongs to the scheduled castes or scheduled tribes then one such officer not below the rank of Secretary, who does not belong to the scheduled castes or scheduled tribes shall be nominated by the Chairman. *Member*

(d) An Officer not below the rank of Secretary belonging to the other backward classes nominated by Chairman. If the Chairman of selection committee belongs to the other backward class then one such officer, not below the rank of Secretary, who does not belong to the other backward classes or scheduled castes or scheduled tribes shall be nominated by the Chairman. *Member*

Provided that if eligible and suitable persons are not available for promotion, the post may be filled by the appointing authority on deputation of a Joint Secretary of Assembly Secretariat or Uttar Pradesh Secretariat. The tenure of deputation will be 3 years.

(i-BB) Special Secretary cum Finance Controller-

The post may be filled on deputation from amongst the panel of 5 officers of finance and accounts services by the Chairman :

Provided that the level of Special Secretary cum finance officer will be determined by the Finance Department in consultation with the Chairman. The tenure of deputation will be 3 years.

(i-C) Joint Secretary-

By promotion, through the Selection Committee constituted under clause (i-B) on the basis of merit-cum-seniority from amongst substantively appointed Deputy Secretaries :

Provided that if eligible and suitable persons are not available for promotion, the post may be filled by the appointing authority on deputation of an officer of Assembly Secretariat or Uttar Pradesh Secretariat who hold the post of Deputy Secretary on substantive capacity. The tenure of deputation will be 3 years.

(i-D) Deputy Secretary-

By Promotion on the basis of seniority, subject to rejection of unfit from amongst substantively appointed Under Secretaries through the selection committee constituted under clause (i-D):

Provided that if eligible and suitable persons are not available for promotion, the post may be filled by the appointing authority on deputation of an officer of Assembly Secretariat or Uttar Pradesh Secretariat who hold the post of Under Secretary on substantive capacity. The tenure of deputation will be 3 years.

Constitution of Selection Committee: -

(a) Principal Secretary

Chairman

(b) An Officer not below the rank of Special Secretary belonging to the scheduled castes or scheduled tribes nominated by Chairman. If the Chairman selection committee belongs to the scheduled castes or scheduled tribes then one such officer not below the rank of Special Secretary, who does not belong to the scheduled castes or scheduled tribes shall be nominated by the Chairman.

Member

(c) An Officer not below the rank of Special Secretary belonging to the other backward classes nominated by Chairman. If the Chairman selection committee belongs to the other backward class then one such officer, not below the rank of Special Secretary, who does not belong to the other backward classes shall be nominated by the Chairman.

Member

(b) for existing clause (ii) set out in Column-I below, the clause as set out in Column-II shall be *substituted*, namely: -

COLUMN-I

Existing clause

COLUMN-II

Clause as hereby substituted

(ii) **Marshal-** By direct recruitment, by selection through the Commission.

(ii) **Marshal-** By promotion through the Selection Committee constituted under clause (i-D) on the basis of merit from amongst substantively appointed

COLUMN-I
Existing clause

COLUMN-II
Clause as hereby substituted

such Deputy Marshals, who have put in atleast one year of service on 1st day of selection year .

If eligible or suitable Deputy Marshals are not available, the post will be filled by direct recruitment through the Selection Committee constituted under clause (i-D).

(c) After clause(ii) the following clauses shall be *inserted*, namely: -

(ii-A) Deputy Marshal-

By promotion through the Selection Committee constituted under clause (i-D) on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst substantively appointed such Assistant Marshals, who have put in at least three years of service on 1st day of selection year.

If eligible or suitable Assistant Marshals are not available, the post will be filled by direct recruitment through the Selection Committee constituted under clause (i-D).

(ii-B) Assistant Marshal-

By promotion, through the selection committee constituted under clause (i-D) on the basis of seniority, subject to rejection of unfit, from amongst substantively appointed Senior Security Assistant (Male/Female).

(ii-C) Senior Security Assistant-

By promotion, through the Selection Committee constituted under clause (i-D) on the basis of seniority, subject to rejection of unfit, from amongst substantively appointed Security Assistant(Male/Female).

(ii-D) Security Assistant (Male)-

By direct recruitment through the Selection Committee constituted under clause (i-D). Candidate must have passed Intermediate Examination from the Board of High School and Intermediate Education Uttar Pradesh or any equivalent examination thereto recognized by the Government.

Preference will be given to those candidates who have experience in Army, Navy, Air Force, Police, Provincial Armed Constabulary (PAC), Prantiya Rakshak Dal (PRD), National Cadet Corps (NCC), Territorial Army or Home Guards. The candidates must possess the following minimum standard:-

Height- 1.68 meter

Weight- 59 kg.

Chest- 86 cm. (Unexpanded)

91 cm. (Expanded)

(ii-E) Security Assistant (Female)-

By direct recruitment through the Selection Committee constituted under clause (i-D). Candidate must have passed Intermediate Examination from the Board of High School and Intermediate Education Uttar Pradesh or any equivalent examination thereto recognized by the Government.

Preference will be given to those candidates who have experience in Army, Navy, Air force, Police, Provincial Armed Constabulary (PAC), Prantiya Rakshak Dal (PRD), National Cadet Corps (NCC), Territorial Army or Home Guards. The candidates must possess the following minimum standard:-

Height- (1) Plain Area- 1.52 meter

(2) Hill Area- 1.47 meter

Weight- 45 to 58 kg.

(d) for clause (iii) set-out in Column-I below, the clause as set out in Column-II shall be *substituted*, namely: -

<u>COLUMN-I</u> Existing clause	<u>COLUMN-II</u> Clause as hereby substituted
<p>(iii) Committee Officer- By promotion, in consultation with the Commission, in accordance with the principle of selection on the basis of merit from amongst persons who substantively hold the post of Section Officers of the Secretariat and have not less than five years continuous service on that post, including service rendered in a temporary or officiating capacity, or where no such officers are available or are found suitable, by appointment from amongst persons holding the substantive post not lower in rank than of Section Officers of the Assembly Secretariat or the Government Secretariat and having not less than 5 years continuous service on that post, including service rendered in a temporary or officiating capacity.</p>	<p>(iii) Under Secretary/Under Secretary cum Committee Officer/Under Secretary cum Legislative Officer- By promotion through a Selection Committee, constituted under clause (i-D) on the basis of seniority, subject to rejection of unfit, from amongst such substantively appointed Section Officers of the Secretariat who have completed at least five years service as such and where no such officer is available or found suitable, by deputation from amongst such substantively appointed persons of a post, not lower than that of the Section Officer of the Assembly Secretariat, or the Uttar Pradesh Secretariat who have completed five years service as such.</p>

(e) for clause (iv) set out in Column-I below the clause as set out in Column-II shall be *substituted*, namely: -

<u>COLUMN-I</u> Existing clause	<u>COLUMN-II</u> Clause as hereby substituted
<p>(iv) Section Officer- By promotion, in consultation with the Commission, in accordance with the principle of selection on the basis of merit from amongst persons who have substantively held the post of Upper Division Assistant for not less than ten years.</p>	<p>(iv) Section Officer- By Promotion, through the Selection Committee constituted under clause (i-D) on the basis of seniority subject to rejection of unfit, from amongst substantively appointed Review Officers of the Secretariat who have completed at least five years of service as such and where no such Review officer is available or is found suitable, by deputation from amongst such substantively appointed Review Officers in the Assembly Secretariat or Uttar Pradesh Secretariat who have completed at least five years service as such.</p>

(f) after clause (iv) the following clauses shall be *inserted*, namely: -

(iv-A) Information Officer -

By direct recruitment through the Selection Committee constituted under clause (i-D).

(iv-B) Management Officer-

By Promotion, through the Selection Committee constituted under clause (i-D) on the basis of seniority subject to rejection of unfit, from amongst substantively appointed Review Officers.

(g) for clause (v) set out in Column-I below, the clause as set out in Column-II shall be *substituted*, namely: -

<u>COLUMN-I</u> <i>Existing clause</i>	<u>COLUMN-II</u> <i>Clause as hereby substituted</i>
Private Secretary (Selection grade)- By promotion in consultation with the Commission in accordance with the principle of selection on the basis of merit from amongst persons holding substantively the post of Private Secretary (Grade-II) in the Secretariat.	<i>Omitted.</i>

(h) for clause (vi) set out in Column-I below, the clause as set out in Column-II shall be *substituted*, namely: -

<u>COLUMN-I</u> <i>Existing clause</i>	<u>COLUMN-II</u> <i>Clause as hereby substituted</i>
(vi) Private Secretary (Grade-II) - By promotion in consultation with the Commission in accordance with the principle of selection on the basis of merit from amongst permanent personal assistant of the Secretariat of not less than 10 years standing.	<p>(vi) Private Secretary Grade I - By promotion through the Selection Committee constituted under clause (i-D) on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst substantively appointed Additional Private Secretaries who have put in at least five years service as such.</p> <p>(vi-A) Private Secretary Grade II- By Promotion, through a Selection Committee constituted under clause (i-D) on the basis of seniority subject to rejection of unfit, from amongst substantively appointed Private Secretaries Grade I of the Secretariat :</p> <p>Provided that if no such officer is available or found suitable, by deputation through the selection committee constituted under clause (i-D) from amongst Private Secretaries Grade I of the Assembly Secretariat or Uttar Pradesh Secretariat.</p> <p>(vi-B) Private Secretary Grade III- By Promotion, through a Selection Committee constituted under clause (i-D) on the basis of seniority subject to rejection of unfit, from amongst substantively appointed Private Secretaries Grade II of the Secretariat :</p> <p>Provided that if no such officer is available or found suitable, by deputation through the selection committee constituted under clause (i-D) from amongst Private Secretaries Grade II of</p>

COLUMN-I
Existing clause

COLUMN-II

Clause as hereby substituted

the Assembly Secretariat or Uttar Pradesh Secretariat.

(vi-C) Private Secretary Grade IV- By Promotion, through a Selection Committee constituted under clause (i-B) on the basis of merit from amongst substantively appointed Private Secretaries Grade III of the Secretariat :

Provided that if no such officer is available or found suitable, by deputation through the selection committee constituted under clause (i-B) from amongst Private Secretaries Grade III of the Assembly Secretariat or Uttar Pradesh Secretariat.

(vi-D) Principal Private Secretary- By Promotion, through a Selection Committee constituted under clause (i-B) on the basis of merit from amongst substantively appointed Private Secretaries Grade IV of the Secretariat :

Provided that if no such officer is available or found suitable, by deputation through the selection committee constituted under clause (i-B) from amongst Private Secretaries Grade IV of the Assembly Secretariat or Uttar Pradesh Secretariat.

(i) for clause (vii) set out in Column-I below, the clause as set out in Column-II shall be substituted, namely: -

COLUMN-I
Existing clause

(vii) Chief Reporter- By promotion, in consultation with the Commission, in accordance with the principle of selection on the basis of merit from amongst the person holding substantively the post of Deputy Chief Reporter, if any or the Selection Grade Reporters in the Secretariat.

COLUMN-II

Clause as hereby substituted

(vii) Chief Reporter- By promotion through the selection committee constituted under clause (i-D) from amongst substantively appointed Deputy Chief Reporter who have completed at least 2 years of service as such :

Provided that if the Deputy Chief Reporter is not found suitable, the post may be filled on the basis of seniority, subject to rejection of unfit, from amongst such substantively appointed Reporters who have put in at least 10 years service as such.

(vii-A) Principal Chief Reporter- By Promotion, through a Selection

<u>COLUMN-I</u> <i>Existing clause</i>	<u>COLUMN-II</u> <i>Clause as hereby substituted</i>
	<p>Committee constituted under clause (i-B) on the basis of merit from amongst substantively appointed Chief Reporter of the Secretariat :</p> <p>Provided that if no such officer is available or found suitable, by deputation through the selection committee constituted under clause (i-B) from amongst substantively appointed Chief Reporter of the Assembly Secretariat.</p>

(j) for clause (viii) set out in Column-I below, the clause as set out in Column-II shall be *substituted*, namely: -

<u>COLUMN-I</u> <i>Existing clause</i>	<u>COLUMN-II</u> <i>Clause as hereby substituted</i>
<p>(viii) Deputy Chief Reporter-</p> <p>By promotion, in consultation with the Commission, in accordance with the principle of selection on the basis of merit from amongst the persons holding substantively in the Secretariat;</p> <p>(a) the post of permanent Reporter for not less than five years; or</p> <p>(b) the post of selection Grade Reporter.</p>	<p>(viii) Deputy Chief Reporter-</p> <p>By promotion, through the Selection Committee constituted under clause (i-D) on the basis of seniority, subject to rejection of unfit, from amongst such substantively appointed reporters who have completed at least 10 years of service as such.</p>

(k) for clause (ix) set out in Column-I below, the clause as set out in Column-II shall be *substituted*, namely: -

<u>COLUMN-I</u> <i>Existing clause</i>	<u>COLUMN-II</u> <i>Clause as hereby substituted</i>
<p>Selection Grade Reporter -By promotion in consultation with the Commission, in accordance with the Principle of selection on the basis of seniority subject to rejection of the unfit from amongst the permanent reporters of not less than 5 years standing.</p>	<p>(ix) Chief Editor-</p> <p>By promotion through the Selection Committee constituted under clause (i-D) on the basis of seniority subject to rejection of unfit, from amongst substantively appointed Editors serving in the Secretariat, who have put in at least five years as such.</p>

(l) after clause (ix) the following new clauses shall be *inserted*, namely: -

<p>(ix-A) Editor-</p> <p>By direct recruitment through the Selection Committee constituted under clause (i-D).</p>	
<p>(ix-B) Officer on Special Duty, Publication-</p> <p>By promotion through the Selection Committee constituted under clause (i-D) on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst substantively appointed such Research Officers, who have put in at least five year of service on 1st day of selection year .</p>	

If eligible or suitable Research Officers are not available, the post will be filled by direct recruitment through the Selection Committee constituted under clause (i-D).

(ix-C) Research Officer-

By promotion through the Selection Committee constituted under clause (i-D) on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst substantively appointed such Research Assistant, who have put in at least five year of service on 1st day of selection year .

If eligible or suitable Research Assistants are not available, the post will be filled by direct recruitment through the Selection Committee constituted under clause (i-D).

(ix-D) Research Assistant-

By direct recruitment through the Selection Committee constituted under clause (i-D).

(m) for clause (x) set out in Column-I below, the clause as set out in Column-II shall be *substituted*, namely: -

COLUMN-I Existing clause	COLUMN-II Clause as hereby substituted
<p>(x) Accountant-cum-treasurer- By promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst permanent Lower Division Assistants.</p>	<p>(x) Review Officer (Account)- By promotion through the selection committee constituted under clause (i-D) on the basis of seniority subject to rejection of unfit, from amongst the substantively appointed assistant review officer (account).</p>

(n) After clause(x) the following clauses shall be *inserted*, namely:-

(x-A) Review Officer (Account)-

By direct recruitment through competitive examination conducted under the orders of Chairman in accordance with procedure determined by him :

Provided that a candidate for direct recruitment to the posts of Review Officer (Account) in the service must possess the following qualifications:-

(1) Bachelor's Degree in commerce with accountancy from a university established by law in India or a qualification recognized by the State Government as equivalent thereto.

(2) 'O' Level certificate in computer application from an institute recognized by the State Government.

(x-B) Section Officer (Account)-

By promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit, through the selection committee constituted under clause (i-D) from amongst substantively appointed review officers (account) who have completed at least 5 years of service.

(o) for clause (xi) set out in Column-I below, the clause as set out in Column-II shall be *substituted*, namely: -

COLUMN-I Existing clause	COLUMN-II Clause as hereby substituted
<p>(xi) Reporter- By direct recruitment through competitive examination conducted by the Commission.</p>	<p>(xi) Reporter- By direct recruitment through competitive examination conducted under the orders of the Chairman in accordance with the procedure determined by him through a committee constituted under clause (i-D).</p>

(p) for clause (xii) set out in Column-I below, the clause as set out in Column-II shall be substituted, namely: -

<u>COLUMN-I</u> Existing clause	<u>COLUMN-II</u> Clause as hereby substituted
(xii) Upper Division Assistant- By direct recruitment through competitive examination conducted by the Commission.	(xii) Review Officer- By direct recruitment through competitive examination conducted under the orders of the Chairman in accordance with procedure determined by him through a committee constituted under clause (i-D).

(q) for clause (xiii) set out in Column-I below, the clause as set out in Column-II shall be substituted, namely: -

<u>COLUMN-I</u> Existing clause	<u>COLUMN-II</u> Clause as hereby substituted
(xiii) Personal Assistant- By direct recruitment through competitive examination conducted by the Commission.	(xiii) Additional Private Secretary- By direct recruitment through competitive examination conducted under the orders of the Chairman in accordance with procedure determined by him through a committee constituted under clause (i-D).

(r) for clause (xiv) set out in Column-I below, the clause as set out in Column-II shall be substituted, namely: -

<u>COLUMN-I</u> Existing clause	<u>COLUMN-II</u> Clause as hereby substituted
(xiv) Lower Division assistant- By direct recruitment through competitive examination conducted by the Commission.	(xiv) Assistant Review Officer- By direct recruitment through competitive examination conducted under the orders of the Chairman in accordance with procedure determined by him through a committee constituted under clause (i-D).

(s) after clause (xiv) the following clause shall be inserted, namely:-

(xiv-A) Computer Assistant-

(i) Eighty percent posts will be filled from dependents of deceased. If adequate number of dependents of deceased are not available or not found suitable, direct recruitment will be made under the procedure laid down by the Chairman.

(ii) Twenty percent of the vacancies shall be filled by promotion through the selection committee constituted under clause (i-D) from the following sources:-

(a) Fifteen percent from amongst such substantively appointed Group-'D' employees who have passed the High School Examination of the board of High School and Intermediate Education Uttar Pradesh or an examination recognized by the Government as equivalent thereto and who have completed 5 years service as such on the first day of the year of recruitment.

(b) Five percent from amongst such substantively appointed Group-'D' employees who have passed the Intermediate examination of the board of Intermediate Education Uttar Pradesh or an examination recognized by the Government as equivalent thereto and who have completed 5 years service as such on the first day of the year of recruitment.

(t) for clause (xv) set out in Column-I below, the clause as set out in Column-II shall be *substituted*, namely: -

<u>COLUMN-I</u> <i>Existing clause</i>	<u>COLUMN-II</u> <i>Clause as hereby substituted</i>
Typist - By Direct recruitment without consultation with the commission.	<i>Omitted.</i>

(u) for clause (xvi) set out in Column-I below, the clause as set out in Column-II shall be *substituted*, namely: -

<u>COLUMN-I</u> <i>Existing clause</i>	<u>COLUMN-II</u> <i>Clause as hereby substituted</i>
(xvi) Driver- By Direct recruitment without consultation with the Commission.	(xvi) Driver- Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made in accordance with the educational qualification and procedures laid down in Uttar Pradesh Government Department driver Service Rules, 1993 (as amended from time to time) by the selection committee constituted under clause (i-D) :-

(1) Driver Grade-IV :

(i) Eighty percent posts by direct recruitment.

(ii) Twenty percent posts by promotion from amongst substantively appointed Group 'D' employees who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment and have a valid driving license for heavy or light vehicle, as the case may be, for a period of not less than three years and must have passed class viii examination from a recognized educational institution :

Provided that if the feeding cadre or the eligible persons in the feeding cadre are not available for the promotions such vacancies shall be filled through direct recruitment under clause (i-D).

(2) Driver Grade-III:

By promotion from amongst substantively appointed Driver Grade-IV who have completed nine years service as such on the first day of the year of recruitment.

(3) Driver Grade-II:

By promotion from amongst substantively appointed Drivers Grade-III who have completed six years substantive service on the post of Driver Grade-III on

COLUMN-I
Existing clause

COLUMN-II
Clause as hereby substituted

the first day of the year of recruitment or taken together, have completed a total fifteen years substantive service on the posts of Driver Grade-IV and Driver Grade-III on the first day of the year of recruitment.

(4) Driver Grade-I:

By promotion from amongst substantively appointed Drivers Grade-II who have completed three years substantive service on the post of Driver Grade-II on the first day of the year of recruitment.

(5) Driver (Special Grade):

By promotion from amongst substantively appointed Drivers Grade-I who have completed one year service as such on the first day of the year of recruitment.

(v) after clause (xvi) the following clause shall be *inserted*, namely:-

(xvi-a) **Cyclostyle Operator-**

By promotion through the selection committee constituted by the Principal Secretary from amongst substantively appointed peons having experience of running photo state machines.

(w) for clause (xvii) set out in Column-I below, the clause as set out in Column-II shall be *substituted*, namely: -

COLUMN-I
Existing clause

COLUMN-II
Clause as hereby substituted

(xvii) **Daftari-**

By promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit, without consultation with the commission, from amongst peons and farrash.

(xvii) **Daftari-**

By promotion, through the Selection Committee constituted by the Principal Secretary on the basis of seniority, subject to rejection of unfit, from amongst substantively appointed Anusewaks.

(x) for clause (xviii) set out in Column-I below, the clause as set out in Column-II shall be *substituted*, namely: -

COLUMN-I
Existing clause

COLUMN-II
Clause as hereby substituted

(xviii) **Jamadar-**

By promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit, without consultation with the commission, from amongst peons and farrash.

(xviii) **Varishth Anusewak-**

By promotion, through the Selection Committee constituted by the Principal Secretary on the basis of seniority, subject to rejection of unfit, from amongst substantively appointed Anusewaks.

(y) for clause (xix) set out in Column-I below, the clause as set out in Column-II shall be *substituted*, namely: -

<u>COLUMN-I</u> Existing clause	<u>COLUMN-II</u> Clause as hereby substituted
(xix) Peon- By Direct recruitment.	(xix) Anusewak- By direct recruitment through the Selection Committee constituted by the Principal Secretary.

(z) for clause (xx) set out in Column-I below, the clause as set out in Column-II shall be *substituted*, namely: -

<u>COLUMN-I</u> Existing clause	<u>COLUMN-II</u> Clause as hereby substituted
Farrash - By direct recruitment.	Omitted.

(aa) for clause (xxi) set out in Column-I below, the clause as out in Column-II shall be *substituted*, namely: -

<u>COLUMN-I</u> Existing clause	<u>COLUMN-II</u> Clause as hereby substituted
(xxi) Sweeper- By Direct recruitment.	(xxi) Sweeper- By Direct recruitment through the Selection Committee constituted by the Principal Secretary.

Amendment
of rule-9

4. In the said rules, for rule-9 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be *substituted*, namely:-

<u>COLUMN-I</u> Existing rule	<u>COLUMN-II</u> Rule as hereby substituted
9- Age limits- A candidate for direct recruitment to posts of different cadres in the Secretariat must not on the first day of July of the year in which the post is advertised, be less than the minimum or more than the maximum age given below:	9- Age limits- A candidate for direct recruitment to posts of different cadres in the Secretariat must not on the first day of July of the year in which the post is advertised, be less than the minimum or more than the maximum age given below:

	Minimum	Maximum		Minimum	Maximum
(1) Principal Secretary	35	55	(1) Principal Secretary	35	55
(2) Marshal	30	45	(2) Marshal	30	45
(3) Reporter	22	35	(3) Reporter	22	40
(4) Personal Assistant	21	30	(4) Add. Private Secretary	21	40
(5) Upper Division Asst.	21	27	(5) Review Officer	21	40
(6) Lower Division Asst.	21	27	(6) Review Officer (Accounts)	21	40

COLUMN-I Existing rule		COLUMN-II Rule as hereby substituted	
Minimum	Maximum	Minimum	Maximum
(7) Typist	18 27	(7) Asst. Review Officer	21 40
(8) Motor driver	18 40	(8) Omitted	— —
(9) Other staff of Class IV	18 30	(9) Motor driver	18 40
		(10) Other staff of Class IV	18 40
		(11) Deputy Marshal	30 40
		(12) Security Assistant (Male/Female)	21 40
		(13) Information Officer	21 40
		(14) Editor	21 40
		(15) Officer on Special Duty, Publication	30 40
		(16) Research Officer	30 40
		(17) Research Assistant	21 40
		(18) Computer Assistant	21 40

Provided that if candidate is entitled under the rules on the basis of his age and other qualification to appear at an examination or selection in any year, but no such examination or selection is held in that year, he shall be deemed to be entitled in respect of his age to appear at the next following examination or selection:

Provided further that the Chairman may relax the maximum age limit in favour of any candidate or class of candidates, if he considers it necessary, in the interest of fair dealing or in the public interest:

Provided also that if a retired person is considered for selection for the post of Principal Secretary, the maximum age limit of 55 years shall not be applicable.

Provided that if candidate is entitled under the rules on the basis of his age and other qualification to appear at an examination or selection in any year, but no such examination or selection is held in that year, he shall be deemed to be entitled in respect of his age to appear at the next following examination or selection:

Provided further that the Chairman may relax the maximum age limit in favour of any candidate or class of candidates, if he considers it necessary, in the interest of fair dealing or in the public interest:

Provided also that if a retired person is considered for selection for the post of Principal Secretary, the maximum age limit of 55 years shall not be applicable.

	<u>COLUMN-I</u> <i>Existing rule</i>	<u>COLUMN-II</u> <i>Rule as hereby substituted</i>
Amendment of rule 9-A	<p>Note- the prescribed maximum age limit in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall be greater by 5 years.</p>	<p>Note- the prescribed maximum age limit in the case of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories, as may be notified by the State Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.</p>
	5. In the said rules, for rule 9-A set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be <i>substituted</i> , namely;	
Tenure	<p style="text-align: center;"><u>COLUMN-I</u> <i>Existing rule</i></p> <p>9-A The Superannuation of the Principal Secretary shall be the same as prescribed by State Government from time to time :</p> <p>Provided that if any retired officer is appointed on the post of Principal Secretary, he will continue to hold the post till he attains the age of sixty-five years or for a period of five years of service whichever is earlier.</p>	<p style="text-align: center;"><u>COLUMN-II</u> <i>Rule as hereby substituted</i></p> <p>9-A The Superannuation of the employees of Secretariat shall be the same as prescribed by State Government from time to time :</p> <p>Provided that if any retired officer is appointed on the post of Principal Secretary, he will continue to hold the post till he attains the age of sixty-five years or for a period of five years of service whichever is earlier.</p>
Amendment of rule 10	<p>6. In the said rules for rule 10, after sub-rule (3) the following sub-rules shall be <i>inserted</i>, namely :-</p> <p>(a) (3-A) Officer on Special Duty, Publication-</p> <p>Must possess a Master's degree in literature or any social subject from a university established by law in India, published work of a high value or at least five years experience of working on a responsible post in library:</p> <p>Provided that such person shall be given preference who has a degree in Library Science or Law and has experience of Legislative Procedure and Parliamentary Affairs.</p> <p>(3-B) Research Officer-</p> <p>Must possess a Master's degree in literature or any social subject from a university established by law in India, published work of a high value or at least five years experience of working on a responsible post in library:</p> <p>Provided that such person shall be given preference who has a degree in Library Science or Law and has experience of Legislative Procedure and Parliamentary Affairs.</p> <p>(3-C) Editor-</p> <p>(i) Must possess a Master's degree in literature or any social science from any university established by law in India.</p> <p>(ii) At least five years experience of editing/translation/summary writing or five years of service on a responsible post in any Legislative Secretariat.</p> <p>(3-D) Information Officer-</p> <p>Must possess Bachelor's degree with Hindi as a subject from a university established by law in India or a degree recognized by the Government as equivalent thereto and diploma in journalism or five years experience in Journalism :</p>	

Provided that such person shall be given preference who has Bachelor's degree in journalism from a university established by law in India or an institution recognized as equivalent thereto, has experience of writing articles, screenplay and feature in newspaper and magazines and possess diploma in Music/Light arrangements/Acting/Direction etc, from an institution recognized by the Government as equivalent thereto.

Provided further that any person who has put in at least six months service on the post of Information officer, prior to commencement of the Uttar Pradesh Legislative Council Secretariat (Recruitment and Conditions of Service)(Fourth Amendment) Rules, 2019 shall be deemed eligible for the purpose of this rule.

(b) for sub-rule (4) set out in Column-I below, the sub-rule as set out in Column-II shall be *substituted*, namely: -

<u>COLUMN-I</u> <i>Existing sub-rule</i>	<u>COLUMN-II</u> <i>Sub-rule as hereby substituted</i>
(4) Upper Division Assistant- A Bachelor's degree of any university established by law in India.	(4) Review Officer- Bachelor's degree from an University established by law in India or a qualification recognized by the Government as equivalent thereto.

(c) for sub-rule (6) set out in Column-I below, the sub-rule as set out in Column-II shall be *substituted*, namely:-

<u>COLUMN-I</u> <i>Existing sub-rule</i>	<u>COLUMN-II</u> <i>Sub-rule as hereby substituted</i>
(6) Personal Assistant- Must have passed Intermediate examination of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh and must have a speed of 120 words per minute in Hindi and 100 words per minute in English shorthand.	(6) Additional Private Secretary- (i) Bachelor's degree of any University established by law in India or equivalent qualification recognized by the Government of Uttar Pradesh. (ii) Must have a minimum speed of 80 words per minute and 25 words per minute respectively in Hindi shorthand and Hindi typing. (iii) Must have computer knowledge as follows:- The Curriculum laid down for Certificate Course in computing (C.C.C.) run by NIELIT (Formerly D.O.E.A.C.C. Society) or Equivalent qualification thereto.

(d) after sub-rule (6) the following sub-rule shall be *inserted*, namely:-

(6-A) Review Officer (Account)-

(1) Bachelor's Degree in commerce with accountancy from a university established by law in India or a qualification recognized by the Government as equivalent thereto.

(2) 'O' Level certificate in computer application from an institute recognized by the Government.

(6-B) Research Assistant- Must possess a Master's degree in literature or any social subject from a university established by law in India and must have at least three years experience of research work or service on a responsible post in any research library or in legislative library.

(e) for sub-rule (7) set out in Column-I below, the sub-rule as set out in Column-II shall be *substituted*, namely:-

<u>COLUMN-I</u> <i>Existing sub-rule</i>	<u>COLUMN-II</u> <i>Sub-rule as hereby substituted</i>
<p>(7) Lower Division Assistant- Bachelor's degree of any University established by law in India :</p> <p>Provided that a person having at least passed High School Examination and working temporarily on the post of Lower Division Assistant in the Secretariat from before the date of commencement of these rules shall, if he is otherwise eligible for this post, be deemed educationally qualified as a department candidate for the post of Lower Division Assistant.</p>	<p>(7) Assistant Review Officer- (i) Bachelor's degree of an University established by law in India or equivalent qualification thereto recognized by the Government. (ii) Bachelor's Degree or Diploma in Computer Science from any recognized Institute/University. (iii) 'O' Level certificate from (NIELIT) (Formerly DOEACC Society) or equivalent thereto. (iv) Minimum speed of 25 words per minute in Hindi Computer typing : Provided that preference will be given to those candidates, possessing knowledge of English typing.</p>

(f) after sub-rule (7) the following sub-rules shall be *inserted*, namely :-

(7-A) Computer Assistant-

Must have passed Intermediate examination with diploma in Computer Science from any recognized institute / university or must have passed Intermediate examination with 'O' level diploma from DOEACC or NIELIT.

(7-B) Drivers-

On the first day of the year of recruitment must have a valid driving license for heavy or light vehicle, as the case may be, for a period of not less than 3 years and must have passed class viii examination from any recognized institute.

(7-C) Anusewak and other ivth class posts-

Educational qualifications shall be same as prescribed by the State Government from time to time.

7. In the said rules, for rule 16 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be *substituted*, namely: -

Amendment of
rule 16

<u>COLUMN-I</u> <i>Existing rule</i>	<u>COLUMN-II</u> <i>Rule as hereby substituted</i>
<p>16- Number of vacant posts- The appointing authority shall in the year of recruitment, ascertain the number of posts vacant or likely to fall vacant of Secretary, Marshal, Reporters, Upper Division Assistants, Personal Assistants, or Lower Division Assistants as the case may be and intimate the same to the Commission:</p> <p>Provided that if in any year the number of posts vacant or likely to fall vacant in the cadre of Upper Division Assistants or Lower Division Assistants is less than two, that vacancy will be carried over to subsequent years for purpose of intimating to the Commission.</p>	<p>16- Number of vacant posts- The Principal Secretary shall, in the year of recruitment ascertain the number of posts vacant or likely to fall vacant in the Secretariat and intimate the same to the Chairman.</p>

8. In the said rules for rule 17 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely: - Amendment of rule 17

COLUMN-I
Existing Rule

17- Reservation of vacancies in the posts of Reporters-

(1) Such number of vacancies not exceeding one-third, or the total number of vacancies in the posts of Reporters, each year, as may be decided by, the appointing authority, shall be reserved in that year for persons who have rendered temporary service on the post for a minimum period of one year on the date fixed by the Commission for submission of application forms, and whose work is certified to be satisfactory:

Provided that the age of such persons shall not, on the first day of July of the year of recruitment, exceed 40 years.

(2) Such reserved vacancies shall be filled on the basis of the result of the competitive examination conducted by the Commission under rule-6(xi) provided the candidates come up to such standard as is Considered by the Commission to be reasonable.

COLUMN-II
Rule as hereby substituted

17- Reservation of vacancies in the posts of Reporters-

(1) Such number of vacancies not exceeding one third, of the total number of vacancies in the post of Reporters, each year, as may be decided by the appointing authority shall be reserved in that year for persons who have rendered temporary service on the post for a minimum period of one year on the date fixed by the Selection Committee for submission of application forms and whose work is certified to be satisfactory:

Provided that the age of such persons shall not on the First day of July of the year of recruitment, exceed 40 years.

(2) Reserved vacancies under this rule shall be filled on the basis of the result of the competitive examination conducted under clause (i-D) of rule 6 :

Provided that the candidates should come up to such standards, as is considered to be reasonable.

9. In the said rules for rule 18 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely: - Amendment of rule 18

COLUMN-I
Existing Rule

18. Reservation of vacancies in the posts of personal Assistants-

(1) Such number of vacancies, not exceeding one-third, of the total number of vacancies in the posts of Personal Assistants each year, as may be decided by the appointing authority, shall be reserved in that year for persons who have rendered temporary service on that post for a minimum of one year on the date fixed by the Commission for submission of application forms, and whose work is certified to be satisfactory:

Provided that the age of such persons shall not, on the first day of July of the year of recruitment exceed 35 years.

(2) Such reserved vacancies shall be filled on the basis of the result of the

COLUMN-II
Rule as hereby substituted

18. Reservation of vacancies in the posts of Additional Private Secretaries-

(1) Such number of vacancies, not exceeding one third, of the total number of vacancies in the posts of Additional Private Secretaries each year, as may be decided by the appointing authority, shall be reserved in that year, for persons who have rendered temporary service on that post for a minimum of one year on the date fixed by the Selection Committee for submission of application forms, and whose work is certified to be satisfactory:

Provided that the age of such persons shall not on the first day of July of the year of recruitment exceed 40 years.

(2) Such reserved vacancies shall be filled on the basis of the result of the

COLUMN-I
Existing Rule

competitive examination conducted by the Commission under rule-6(xiii) provided the candidates come up to such standard as is considered by the Commission to be reasonable.

Amendment of
rule 19

10. In the said rules for rule 19 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be *substituted*, namely: -

COLUMN-I
Existing Rule

19- Reservation of vacancies in the posts of Upper Division Assistants-

(1) Where total number of vacancies in any year exceeds one, such number vacancies not exceeding one half as may be decided by the appointing authority, and where the total number of vacancy is only one, such vacancy in the posts of Upper Division Assistants shall be reserved for such Lower Division Assistants, Accountant cum-Treasurer of the Secretariat and candidates approved under these rules for permanent appointment on these posts, who on the first day of July of the year of examination have completed at least three years continuous service including temporary or officiating service in the Secretariat and whose work is certified to be satisfactory.

(2) Such reserved vacancies shall be filled on the basis of the result of the competitive examination conducted under rule 6(xii), provided that the candidates come up to standard such as is considered by the Commission to be reasonable.

(3) Separate lists shall be prepared in order of merit of person selected under sub-rule(ii), and of the candidate selected by direct recruitment through competitive examination conducted under rule 6(xii) and for determining their *inter se* seniority, the two lists shall be so interwoven that the person placed first amongst the departmental candidates selected for the reserved vacancies shall be placed first, and thereafter the person placed first amongst the candidates selected by direct recruitment shall be placed second, and so on. The seniority list shall be prepared by likewise merging the two lists.

COLUMN-II
Rule as hereby substituted

competitive examination conducted by Selection Committee under clause(i-D) of rule-6 :

Provided that the candidates should come up to such standards, as is considered to be reasonable.

COLUMN-II
Rule as hereby substituted

19- Reservation of vacancies in the posts of Review Officer-

(1) Fifty percent through direct recruitment by the Selection Committee constituted under clause (i-D) of rule 6.

(2) Fifty percent by promotion from amongst substantively appointed, Assistant Review officers who have completed 5 years of service as such on the first day of the year of recruitment.

(3) If in any year of recruitment appointments are made both by direct recruitment and by promotion a combined select list shall be prepared by taking the names of candidates from relevant lists in such a manner that the prescribed percentage is maintained. The first name in the said list shall be of the person appointed by promotion.

(4) The seniority of persons substantively appointed in any category of posts, shall be determined in accordance with the Uttar Pradesh Government Servants Seniority Rules, 1991 as amended from time to time.

11. In the said rules for rule 20 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be *substituted*, namely: -

Amendment of rule 20

COLUMN-I
Existing Rule

20- Reservation of vacancies in the posts of Lower Division Assistants-

(1) Such number of vacancies, not exceeding one-half of the total number of vacancies in the posts of Lower Division Assistants in each year, as may be decided by the appointing authority shall be reserved in that year for those persons who, on the date fixed by the Commission for submission of application forms, have completed on the said posts, temporary services of at least three years and whose work is certified to be satisfactory :

Provided that the age of such persons shall not on the first day of July of the year of recruitment exceed 35 years.

(2) Such reserved vacancies shall be filled on the basis of the competitive examination conducted under rule 6(xiv) by the Commission, if the candidates come up to such standard as is considered by the Commission to be reasonable.

12. In the said rules for rule 21 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be *substituted*, namely :-

Amendment of rule 21

COLUMN-I
Existing Rule

21- Direct Recruitment by selection-

(1) The appointing authority on the occurrence of vacancies in the posts of Secretary, Marshal send intimation as soon as may be, to the Commission about such vacancies and request the Commission to select suitable person or persons after inviting applications through necessary advertisement.

(2) The Commission shall call for interview the candidates who are *prima facie* eligible in accordance with the qualification prescribed for the particular posts.

(3) An officer whether of Secretariat or of the Assembly Secretariat or a Secretariat of a House of the Parliament or any other State Legislature or of the State Government nominated by the Chairman

COLUMN-II
Rule as hereby substituted

20- Reservation of vacancies in the posts of Assistant Review Officers-

(1) Fifty percent by direct recruitment through the Selection Committee constituted under clause (i-D) of rule-6.

(2) Fifty Percent by promotion from amongst substantively appointed computer assistants who have completed three years service as such.

COLUMN-II
Rule as hereby substituted

21- Determination of Vacancies and Procedure for Direct Recruitment-

(1) The appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled through direct recruitment, during the course of the year of recruitment as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes Scheduled Tribes and other categories in accordance with such Government orders as may be in force at the time of recruitment.

(2) For Direct recruitment advertisement will be published in leading daily newspapers.

(3) Application for permission to appear in the competitive examination shall be invited by the Selection Committee referred to in clause (i-D) of

COLUMN-I Existing Rule	COLUMN-II Rule as hereby substituted
shall be present at the time of such interview to assist the Commission.	rule 6 in the form published in the advertisement.
(4) The Commission shall, as soon as may be after interview, send to the appointing authority a list containing as many names as are double the number of the vacancies, selected on the basis of merit.	(4) The Selection committee shall call for written examination and/or interview as the case may be such candidates as are <i>prima facie</i> eligible in accordance with the qualifications prescribed for the post/posts.
(5) The appointing authority shall select the candidates in the order of merit from such list if he is satisfied that they are qualified in other respects.	(5) After the results of written examinations and/or interview as the case may be have been received and tabulated, the selection committee shall, having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and others, prepare a list of candidates in order of merit as disclosed by the marks obtained by each candidates at the written examination and/or interview as the case may be and recommend such number of candidates as they consider fit for appointment. If two or more candidates obtain equal marks, the candidates senior in age shall be placed higher in the list. The selection committee shall forward the list to the appointing authority.
	(6) After fulfilling all requirements, the appointing authority shall make appointments by taking the names of candidates in the order in which they stand in the list/lists prepared by the selection committee.

Amendment of rule 22

13. In the said rules for rule 22 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be *substituted*, namely: -

COLUMN-I Existing Rule	COLUMN-II Rule as hereby substituted
22- Examination-	22- Examination-
(1) The Commission shall in consultation with the Chairman determine the syllabus and rules for competitive examination for direct recruitment of candidates under these rules.	(1) The syllabus and rules for competitive examination for direct recruitment under these rules shall be made separately with the approval of the Chairman.
(2) No candidates shall be admitted to any examination unless he has received an admission card issued by the Commission.	(2) The Chairman may, if required authorize any external agency to conduct whole selection process or part thereof.
	(3) In case of decision taken by Chairman to conduct the selection in the Chairmanship of Principal Secretary, the Selection Committee shall be constituted in accordance with clause (i-D) of rule-6.

14. In the said rules for rule 23 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

Amendment of rule 23

COLUMN-I
Existing Rule

23- Selection of the candidates on the basis of result of examination-

(1) The Commission shall prepare a merit list of candidates on the basis of the total marks obtained by each candidates in the competitive examination and send the same to the appointing authority. Where the marks obtained by certain candidates are equal, the Commission shall examine the cases of such candidates and after properly considering their age, the marks obtained by them in different subjects and the relative importance of the subjects of examination, arrange their names on the basis of merit. The appointing authority shall select candidates in the order of merit from such merit list if he is satisfied they are qualified in other respects.

(2) The appointing authority may make such inquiries about the nationality, age, character and conduct of any candidate as it may consider necessary and if, in its opinion the result of such inquiry is unsatisfactory in the respect of any such candidate it may declare such candidate as disqualified. If a candidate is disqualified, in this manner, the appointing authority shall decide whether the candidate next to him in the merit list, who is otherwise qualified, should be selected or not.

COLUMN-II
Rule as hereby substituted

23- Selection of the candidates on the basis of result of examination-

(1) After the results of written examinations and/or interview as the case may be have been received and tabulated, the selection committee shall, having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and others, prepare a list of candidates in order of merit as disclosed by the marks obtained by each candidates at the written examination and/or interview as the case may be and recommend such number of candidates as they consider fit for appointment. If two or more candidates obtain equal marks, the candidates senior in age shall be placed higher in the list. The selection committee shall forward the list to the appointing authority.

(2) After fulfilling all requirements, the appointing authority shall make appointments by taking the names of candidates in the order, in which they stand in the list/lists prepared by selection committee.

15. In the said rules for rule 24 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely :-

Amendment of rule 24

COLUMN-I
Existing Rule

24- Fees-

Each candidate shall pay to the Commission such fees for application, interview or examination as the Governor, may in consultation with the Commission, fix from time to time. Ordinarily no claim for refund of such fees shall be admitted nor such fees shall be adjusted towards any examination or selection to be held in future.

COLUMN-II
Rule as hereby substituted

24- Fees-

Each candidate shall pay such fees for application, interview or examination as may be fixed by the Chairman from time to time. Ordinarily no claim for refund of such fees shall be admitted nor such fees shall be adjusted towards any examination or selection to be held in future.

Amendment of
rule 25

16. In the said rules for rule 25 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely :-

COLUMN-I

Existing Rule

25- Application Form-

Each application form for direct recruitment through competitive examination or selection in consultation with the Commission under these rules, shall be submitted in the form prescribed by the Commission which shall be obtainable from the Secretary of the Commission.

COLUMN-II

Rule as hereby substituted

25- Application Form-

Each application Form for recruitment through competitive examination for selection under these rules, shall be submitted to the appointing authority in the form as may be by order determined by the Selection Committee concerned.

Amendment of
rule 27

17. In the said rules for rule 27 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

COLUMN-I

Existing Rule

27- Procedure for recruitment to posts of committee officer, selection officer etc.-

(1) The appointing authority shall prepare a list to be called eligibility list of senior most candidates from amongst the candidate eligible under rules 6 and 10 for the post of committee officer, Selection officer, Private Secretary (Selection Grade), Private Secretary (Grade-2) Chief Reporter or Deputy Chief Reporter, as the case may be, containing names so far as may be, in the following proportion: For 1 to 5 vacancies...5 times the number of vacancies, subject to a minimum of 15:

For 6 to 12 vacancies...4 times the number of vacancies, subject to a minimum of 25:

For over 12 vacancies...3 times the number of vacancies, subject to a minimum of 50:

Provided that if recruitment is to be made for vacancies occurring during more than one year of recruitment, separate eligibility lists will be prepared in respect of each such year. In such a case while preparing the eligibility list for the second and subsequent years of recruitment, the number of candidates to be included in the eligibility list shall be-

COLUMN-II

Rule as hereby substituted

27- Procedure for recruitment by promotion through the Selection Committee-

(1) Recruitment by promotion will be made through the selection committee constituted under clause (i-A) or clause (i-B) or clause (i-D) of rule 6 as the case may be.

(2) Where the criterion for promotion is merit, the appointing authority shall prepare a list of the senior most candidates containing names as far as possible, three times the number of vacancies subject to the minimum of eight :

Provided that, if recruitment is to be made for vacancies occurring during more than one year of recruitment, separate eligibility lists will be prepared in respect of each such year and in such a case while preparing the eligibility for second and subsequent year of recruitment, the number of candidates to be included in the eligibility list shall be as follows :-

(i) For the second year- The number according to the said proportion plus the number of vacancies in the first year;

(ii) For the third year- The number according to the said proportion plus the number of vacancies in the first and second year, and so on :

COLUMN-I

Existing Rule

For the second year...the number according to the said proportion, plus the number of vacancies in the first year :

For the third year and so on.....the number according to the said proportion, plus the number of vacancies in the first and second year :

Provided further that candidates who are not considered suitable, *prima facie*, for promotion shall not be taken into account in calculating the said proportion, and a note to the effect that they are not so considered shall be added against their names.

Explanation I- In this rule "the number of vacancies" means the total number of substantive, temporary or officiating vacancies occurring during the year of recruitment, after taking into account probable absorption of candidates of list 'B' against substantive vacancies.

Explanation II-(I) A Single eligibility list shall be prepared to cover all types of vacancies.

(2) The appointing authority shall forward to the commission the eligibility list or lists together with the gradation list of all persons within the field of eligibility and the character rolls of the candidates included in the eligibility list or lists and also intimate to it the number of different types of vacancies taken into account for the purpose of preparing the list or lists.

(3) If in any case Commission feels that the requisite number of suitable candidates may not be available from amongst those whose names are included in the list or lists received by it under sub-rule (2), it may ask the appointing authority to include therein the names and character rolls of such large number of the senior-most or of all, eligible candidates, as it thinks fit and the appointing authority shall, notwithstanding anything contained in sub-rule (1), revise the list or lists accordingly.

(4) A selection Committee consisting of the following shall be constituted by the appointing authority-

(a) The Chairman or any other member to be nominated by him of the Commission

COLUMN-II

Rule as hereby substituted

Provided further that candidates who are not considered suitable, *prima facie*, for promotion shall not be taken into account in calculating the said proportion and a note to the effect that they are not so considered shall be added against their names.

(3) Where the criterion for promotion is seniority subject to the rejection of unfit, the appointing authority shall prepare a list of the senior most eligible candidates. In the light of vacancies available in each of the year so far as may be in the following proportion :-

(i) For 1 to 5 vacancies - Two times the number of vacancies subject to a minimum of five.

(ii) For over 5 vacancies - One and Half times the number of vacancies subject to a minimum of ten :

Provided that, if recruitment is to be made for vacancies occurring during more than one year of recruitment, separate eligibility lists will be prepared in respect of each such year and in such a case while preparing the eligibility for second and subsequent year of recruitment, the number of candidates to be included in the eligibility list shall be as follows :-

(i) For the second year- The number according to the said proportion plus the number of vacancies in the first year;

(ii) For the third year- The number according to the said proportion plus the number of vacancies in the first and second year, and so on :

Provided further that candidates who are not considered suitable, *prima facie*, for promotion shall not be taken into account in calculating the said proportion and a note to the effect that they are not so considered shall be mentioned against their names.

COLUMN-I*Existing Rule*

will be the Chairman of the Committee.

(b) The Principal Secretary, Legislative Assembly; and

(c) The Principal Secretary Legislative Council.

(5) (4) The appointing authority shall in consultation with the Commission fix a date for selection:

Provided that the process of selection may spread over more than one dates.

(b) In case the Commission or the appointing authority considers it necessary that all or any of the candidates included in the eligibility list or lists should be interviewed by the appointing authority shall call such candidate or candidates as the case may be for the purpose on the aforesaid date or dates.

(c) The Selection Committee shall in each case consider the character rolls of the Candidates and may consider any other factor relevant in its opinion.

6 (a) The Selection Committee shall prepare two lists, in order of merit as follows, namely :-

(i) List-A-Containing names candidates recommended for substantive appointment against the permanent vacancies intimated to the Commission under sub-rule (2).

(ii) List-B-Containing names of candidates recommended for temporary or officiating appointment intimated to the Commission under sub-rule (2) as well the names of candidates, if any, carried over on review from any pending list B in accordance with rule (b) of sub-rule(9):

Provided that if recruitment is made for vacancies occurring during more than one year of recruitment, the selection in respect of each such year shall be made from the eligibility list prepared for that year. In such a case, the names of candidates selected against vacancies of one year will be excluded from the eligibility list of subsequent year or years, as the case may be before making the selection from eligibility list of the second and subsequent years.

COLUMN-II*Rule as hereby substituted*

for the Chairman of the Committee. The number of members of the said proposed committee shall be fixed by the Commission in consultation with the appointing authority in the said proposed committee. The number of members of the said proposed committee shall be fixed by the Commission in consultation with the appointing authority in the said proposed committee.

Provided that the process of selection may spread over more than one dates. The Commission or the appointing authority shall call such candidate or candidates as the case may be for the purpose on the aforesaid date or dates.

The Selection Committee shall in each case consider the character rolls of the Candidates and may consider any other factor relevant in its opinion.

6 (a) The Selection Committee shall prepare two lists, in order of merit as follows, namely :-

(i) List-A-Containing names candidates recommended for substantive appointment against the permanent vacancies intimated to the Commission under sub-rule (2).

(ii) List-B-Containing names of candidates recommended for temporary or officiating appointment intimated to the Commission under sub-rule (2) as well the names of candidates, if any, carried over on review from any pending list B in accordance with rule (b) of sub-rule(9):

Provided that if recruitment is made for vacancies occurring during more than one year of recruitment, the selection in respect of each such year shall be made from the eligibility list prepared for that year. In such a case, the names of candidates selected against vacancies of one year will be excluded from the eligibility list of subsequent year or years, as the case may be before making the selection from eligibility list of the second and subsequent years.

The Commission shall in each case consider the character rolls of the Candidates and may consider any other factor relevant in its opinion.

COLUMN-I
Existing Rule

(b) Notwithstanding anything in rule (a) list A need not be prepared in case the number of permanent vacancies does not exceed the number of candidates remaining to be absorbed in permanent vacancies from list B.

(7) The Commission shall consider the recommendation of the Selection Committee and there after send the list A and B as approved to the appointing authority.

(8) Subject to the provision of rule (a) and the proviso to rule (b) of sub-rule (9) the appointing authority shall rearrange each of the lists A and B in order of seniority.

(9) (a) The names of candidates included in list A for whom permanent vacancies cannot be found during the year of recruitment shall at the end of the year, be transferred to the top of list B in the order on which their names appear in list A as rearranged under sub-rule (8).

(b) The names of candidates included in list B for whom vacancies cannot be found during the year shall be reviewed at the time of every succeeding selection and in case the Selection Committee for succeeding year of recruitment considers that the work or conduct of any candidate since the preceding selection justifies it may remove his name from that list:

Provided that candidates who are selected for list B for the First time shall be placed below those already on that list.

(10) (a) Candidates included in list A shall be appointed against permanent vacancies in the order in which their names appear in the list as rearranged under sub-rule (8).

(b) Candidates include in list A for whom permanent vacancies are not immediately available shall be appointed in the said order against temporary or officiating vacancies in preference to those included in list B.

COLUMN-II
Rule as hereby substituted

(b) Notwithstanding anything in rule (a) list A need not be prepared in case the number of permanent vacancies does not exceed the number of candidates remaining to be absorbed in permanent vacancies from list B.

(7) The Commission shall consider the recommendation of the Selection Committee and there after send the list A and B as approved to the appointing authority.

(8) Subject to the provision of rule (a) and the proviso to rule (b) of sub-rule (9) the appointing authority shall rearrange each of the lists A and B in order of seniority.

(9) (a) The names of candidates included in list A for whom permanent vacancies cannot be found during the year of recruitment shall at the end of the year, be transferred to the top of list B in the order on which their names appear in list A as rearranged under sub-rule (8).

(b) The names of candidates included in list B for whom vacancies cannot be found during the year shall be reviewed at the time of every succeeding selection and in case the Selection Committee for succeeding year of recruitment considers that the work or conduct of any candidate since the preceding selection justifies it may remove his name from that list:

Provided that candidates who are selected for list B for the First time shall be placed below those already on that list.

(10) (a) Candidates included in list A shall be appointed against permanent vacancies in the order in which their names appear in the list as rearranged under sub-rule (8).

(b) Candidates include in list A for whom permanent vacancies are not immediately available shall be appointed in the said order against temporary or officiating vacancies in preference to those included in list B.

COLUMN-I
Existing Rule

(11) Subject to the provisions of rule (b) of sub-rule (10) candidates, included in list B shall be appointed in the order in which their names appear in the list as rearranged under sub-rule (8) against temporary or officiating vacancies and after list A is exhausted also against permanent vacancies :

Provided that if it appears to the appointing authority at any time that Government servant appointed against a temporary or officiating vacancy has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, it may revert him to the post from which he was promoted without assigning any reason.

(12) Subject to the provision of sub-rule (11), candidates remaining in list B shall be appointed against fresh substantive vacancies in preference to any candidate selected from list A at the succeeding year of recruitment for the first time.

Omission of rule 28

18. In the said rules for rule 28 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely :-

COLUMN-I
Existing Rule

Method of recruitment for the post of selection grade Reporter –

(1) Except as otherwise provided in sub-clause(3) the appointing authority shall prepare a list to be called eligibility list from amongst the senior most candidates under rule 6 for the Selection Grade Reporter containing names, so far as may be in the following proportion :-

For 1 to 5 vacancies - 2 times the number of vacancies subject to a minimum of 5;

For over 5 vacancies - 1½ times the number of vacancies subject to a minimum of 10.

The provisions and the explanation to sub-rule (1) of rule 27 shall *mutatis-mutandis* apply of this rule.

COLUMN-II
Rule as hereby substituted

COLUMN-II

Rule as hereby substituted

Omitted.

COLUMN-I
Existing Rule

(2) The rest of the procedure prescribed in rule 27 shall *mutatis-mutandis* apply to promotion under this rule, except that each of the two lists A and B referred to in rule 27 shall be prepared by the Selection Committee in order of seniority subject to the rejection of the unfit and that from amongst those considered fit, the senior most candidates shall be placed in list-A.

(3) Notwithstanding anything in sub-rules (1) and (2), if in any case the number of vacancies to be filled in small and the appointing authority considers the senior most candidate or candidates clearly fit for promotion and accordingly no supersession is involved, the commission may, if it agrees with the view of the appointing authority approve the proposal straightway. In that case no Selection Committee be constituted and the candidate or candidates so approved shall be deemed to have been duly selected for promotion.

19. In the said rules for rule 33 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be *substituted*, namely :-

Amendment of
rule 33

COLUMN-I
Existing Rule

33- Probation-

(1) Every person on substantive appointment to any post in the Secretariat shall be placed on probation for a period of two years.

COLUMN-II

Rule as hereby substituted

33- Probation-

A person, on substantive appointment to a post shall be placed on probation in accordance with the THE UTTAR PRADESH GOVERNMENT SERVANT PROBATION RULES, 2013 (As amended from time to time.)

At the time of promulgation of these rules, the provisions of said Rules are as follows :-

(1) A person on substantive appointment to a post through direct recruitment shall be placed on probation for a period of two years. The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date upto which the extension is granted :

Provided that, save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year.

COLUMN-I*Existing Rule*

(2) The period of probation shall be counted from the date of taking over charge of the office.

(3) Continuous service rendered in a temporary or officiating capacity on any post in the cadre or on any higher post may at the discretion of the appointing authority be taken into account in computing the period of probation.

(4) The period of probation may for sufficient reasons to be recorded in writing be extended ordinarily up to one year. In every order extending the period of probation the exact date up to which it is extended shall be specified. In special circumstances the period of probation may be extended for more than a year subject to the condition that the period of probation shall not be extended for more than two years.

COLUMN-II*Rule as hereby substituted*

(2) A person on substantive appointment to a post by promotion, if direct recruitment is one of the sources of recruitment, shall be placed on probation for a period of two years. The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date upto which the extension is granted.

Provided that, save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year.

(3) A person appointed on a post by adjustment, absorption or merger in accordance with the procedure prescribed in the relevant service rules, shall be placed on probation for a period of one year. The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date upto which the extension is granted :

Provided that, save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond six months and in no circumstances beyond one year.

(4) It will not be necessary to place a person on probation if he is promoted to a post where promotion is the only source of recruitment.

(5) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunity or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.

(6) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (5) shall not be entitled to any compensation.

(7) The appointing authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

20. In the said rules for rule 40 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

Amendment of rule 40

COLUMN-I
Existing Rule

COLUMN-II
Rule as hereby substituted

40- Condition of service on deputation-
Subject to such restrictions and to such an extent as the Chairman may with the concurrence of the lending authority and the Finance Department by order determine, any person may, during his period of deputation to a post in the Secretariat, be allowed to remain subject to the same condition of service to which he was entitled immediately before his deputation in the Secretariat.

40- Condition of service on deputation-
Subject to such restrictions and to such an extent as the appointing authority may with the concurrence of the lending authority and the Finance Department by order determine, any person may during his period of deputation to a post in the Secretariat, be allowed to remain subject to the same conditions of service to which he was entitled immediately before his deputation in the Secretariat :

Provided that, at the time of notifying of these rules, tenure of deputation is three years which may be extended upto five years.

21. In the said rules for rule 48 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

Amendment of rule 48

COLUMN-I
Existing Rule

COLUMN-II
Rule as hereby substituted

48- Power of Chairman to relax rules-
The Chairman may in exceptional circumstances, and in consultation with the commission, relax the age limit and qualification other than educational qualification prescribed for any post in these rules.

48- Power of Chairman to relax rules-
The Chairman may in exceptional circumstances, relax the age limit and other qualifications other than educational qualification prescribed for any post in these rules.

22. In the said rules for Appendix-I set out in Schedule-A below, the Appendix as set out in Schedule-B shall be substituted, namely:-

Amendment of Appendix-I

SCHEDULE-A Existing Appendix Appendix-I [See rule 3(3) and 30]				SCHEDULE-B Appendix as hereby substituted Appendix-I [See rule 3(3) and 30]						
				Gazetted Officers						
Name of post	Scale of pay	Number of posts	Remarks	Sl. No.	Name of Post	No. of Posts			Scale of Pay	
						Permanent	Temporary	Total	Pay Matrix Level	Pay
1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7
Principal Secretary	182200-224100	1	Permanent	1	Principal Secretary	1	-	1	15	182200-224100

SCHEDULE-A Existing Appendix Appendix-I [See rule 3(3) and 30]				SCHEDULE-B Appendix as hereby substituted Appendix-I [See rule 3(3) and 30]						
Gazetted Officers										
Name of post	Scale of pay	Number of posts	Remarks	Sl. No.	Name of Post	No. of Posts			Scale of Pay	
						Permanent	Temporary	Total	Pay Matrix Level	Pay
1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7
Committee Officer	500-25-650-30-800-50-1,000 or 800-50-1100	1	Permanent Rs.100 p.m. Special pay	2	Special Secretary	1	1	2	13 A	131100-216600
Section Officer	500-25-650-30-800-50-1,000 or 500-25-700-40-900-50-1,000	3	2 Permanent 1 Temporary	3	Principal Private Secretary	1	-	1	13 A	131100-216600
Private Secretary (Selection Gr.)	800-50-1,100	1	Permanent	4	Joint Secretary	1	1	2	13	123100-215900
Chief Reporter	800-50-1,100	1	Permanent	5	Special Secretary Cum Finance Controller	-	1	1	13 A	131100-216600
Deputy Chief Reporter	500-25-650-30-800-50-1,000	1	Temporary	6	Principal Chief Reporter	1	-	1	13	123100-215900
Private Secretary (Gr.II)	500-25-650-30-100-50-1,000 or 500-25-700-40-900-50-1,000	1	Permanent	7	Private Secretary Category-4	1	1	2	13	123100-215900
Marshal	550-30-700-50-900-50-1,200	1	Temporary	8	Deputy Secretary	3	1	4	12	78800-209200

SCHEDULE-A Existing Appendix Appendix-I [See rule 3(3) and 30]				SCHEDULE-B Appendix as hereby substituted Appendix-I [See rule 3(3) and 30]						
Gazetted Officers										
Name of post	Scale of pay	Number of posts	Remarks	Sl. No.	Name of Post	No. of Posts			Scale of Pay	
						Permanent	Temporary	Total	Pay Matrix Level	Pay
1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7
Hindi Reporter (Selection Gr.)	450-25-650-30-800-50-950	1	Permanent	9	Private Secretary Category-3	1	1	2	12	78800-209200
Hindi Reporter	450-25-575-25-700-30-850	7	Permanent	10	Officer on Special Duty, Publication	-	1	1	12	78800-209200
Upper Division Assistants	350-15-500-20-600-25-700	14	10 Permanent 4 Temporary	11	Chief Reporter	1	1	2	12	78800-209200
Personal Assistants	350-15-500-20-600-25-700	4	Permanent	12	Deputy Chief Reporter	2	2	4	11	67700-208700
Accountant-cum-Treasurer	350-15-500-20-600-25-700	1	Permanent	13	Under Secretary	3	2	5	11	67700-208700
Lower Division Assistants	280-8-320-9-410-10-450	12	11 Permanent 1 Temporary	14	Under Secretary Cum Committee Officer	2	-	2	11	67700-208700
Typist	200-5-250-6-280-8-320	3	Temporary	15	Under Secretary Cum Legislative Officer	1	-	1	11	67700-208700
Driver	185-3-215-4-235-8-265	2	1 Temporary 1 Permanent Rs 50 pm. as special pay	16	Private Secretary Category-2	2	2	4	11	67700-208700
Jamadar	170-2-190-3-205-4-225	3	Permanent	17	Chief Editor	1	-	1	11	67700-208700
Daftari	170-2-190-3-205-4-225	1	Permanent	18	Marshal	1	-	1	10	56100-177500

SCHEDULE-A Existing Appendix Appendix-I [See rule 3(3) and 30]				SCHEDULE-B Appendix as hereby substituted Appendix-I [See rule 3(3) and 30]						
Gazetted Officers										
Name of post	Scale of pay	Number of posts	Remarks	Sl. No.	Name of Post	No. of Posts			Scale of Pay	
						Permanent	Temporary	Total	Pay Matrix Level	Pay
1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7
Peon	165-2-185-3-215	16	Permanent	19	Research Officer	1	-	1	10	56100-177500
Sweeper	165-2-185-3-215	1	Permanent	20	Section Officer	10	-	10	10	56100-177500
				21	Section Officer (Account)	1	-	1	10	56100-177500
				22	Management Officer	1	-	1	7	44900-142400
				23	Private Secretary Category-1	12	-	12	10	56100-177500
				24	Editor	1	-	1	10	56100-177500
				25	Information Officer	1	-	1	7	44900-142400
				26	Reporter	9	-	9	10	56100-177500
				27	Deputy Marshal	1	-	1	7	44900-142400
					Total	60	14	74		

* Substituted *vide* Uttar Pradesh Sansadiya Anubhag notified no. 1357/Satrah-S-1-2003-385/2003, Dated August 4, 2003.

Non Gazetted Employees (Class-3)

Sl. No.	Name of Post	No. of Posts			Scale of Pay	
		Permanent	Temporary	Total	Pay Matrix Level	Pay
1	Review Officer	34	-	34	8	47600-151100
2	Reference Clerk	4	-	4	8	47600-151100

Sl. No.	Name of Post	No. of Posts			Scale of Pay	
		Permanent	Temporary	Total	Pay Matrix Level	Pay
3	Additional Private Secretary	24	-	24	8	47600-151100
4	Assistant Marshal	1	-	1	6	35400-112400
5	Review Officer (Account)	2	-	2	8	47600-151100
6	Review Officer	1	-	1	8	47600-151100
7	Research Assistant	4	-	4	6	35400-112400
8	Assistant Review Officer	47	-	47	7	44900-142400 (03 Posts of Assistant Review Officers which were kept in abeyance are not included in the original list instead of 3 post of junior grade clerk have been created.)
9	Senior Security Assistant	1	-	1	4	25500-81100
10	Driver:	8	-	8		
	Driver: Grade-4	-	-	2	2	19900-63200
	Driver: Grade-3	-	-	2	4	25500-81100
	Driver: Grade-2	-	-	2	5	29200-92300
	Driver: Grade-1	-	-	1	6	35400-112400
	Driver: Special Grade	-	-	1	7	44900-142400
11	Computer Assistant	1	4	5	4	25500-81100

Sl. No.	Name of Post	No. of Posts			Scale of Pay	
		Permanent	Temporary	Total	Pay Matrix Level	Pay
12	Security Assistant (Male)	18	-	18	3	21700-69100
13	Security Assistant (Female)	3	-	3	3	21700-69100
	Total	148	4	152		

Non Gazetted Employees (Class-4)

Sl. No.	Name of Post	No. of Posts			Scale of Pay	
		Permanent	Temporary	Total	Pay Matrix Level	Pay
1	Typewriter Mechanic	1	-	1	2	19900-63200
2	Cyclostyle Operator	3	-	3	2	19900-63200
3	Senior Anusewak	10	-	10	2	19900-63200
4	Daftari	1	-	1	2	19900-63200
5	Anusewak	56	-	56	1	18000-56900
6	Sweeper	4	-	4	1	18000-56900
	Total	75	-	75		

Post	Permanent	Temporary	Total
Gazetted	60	14	74
Non Gazetted (Class-3)	148	4	152
Non Gazetted (Class-4)	75	-	75
Total	283	22	301

By order,
J.P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 554 राजपत्र-(हिन्दी)-2020-(1352)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 2 सा० संसदीय कार्य-2020-(1353)-200 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।